सत्यमेव जयते

# लेखे एक दृष्टि में
# 2019-20

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

## बिहार सरकार

# लेखे एक दृष्टि में

वर्ष 2019-20 के लिए

बिहार सरकार

# प्रस्तावना

मुझे अपने वार्षिक प्रकाशन बिहार सरकार के **'लेखे एक दृष्टि में'**, को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 149 अधिकृत करता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, राज्य के खातों के संबंध में संसद द्वारा बनाये गये ऐसे किसी कानून के द्वारा निर्धारित कर्तव्यों और शक्ति का प्रयोग करेंगें। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) 1971 का अनुच्छेद 10 प्रावधान करता है कि सीएजी लेखे के संधारण के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों और विभागों से लेखा कार्यालयों में प्रस्तुत किए गए राज्य के लेखा संकलन के लिए जिम्मेदार हैं।

राज्य के वार्षिक लेखे, सौंपी गयी दायित्व के निर्वहन में (क) वित्त लेखे एवं (ख) विनियोग लेखे तैयार किए गए हैं। वित्त लेखे तीन भागों में संकलित समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अन्तर्गत लेखे की विवरणियों का सार है। विनियोग लेखे के अन्तर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के सापेक्ष किए गए अनुदानवार व्यय अंकित किए जाते हैं तथा वास्तविक व्यय और प्रावधानित निधि के बीच के अंतर का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है।

'लेखे एक दृष्टि में' सरकारी कार्यकलापों का विस्तृत विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, जैसा कि वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में प्रदर्शित किया गया है। हितधारकों- विधानमंडल, कार्यपालक तथा लोकजन को लेखांकन सूचना प्रदान करने के लिए सूचना को संक्षिप्त व्याख्याओं, विवरणों, रेखा चित्रों और समय श्रृंखला विश्लेषण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे, राज्य वित्त प्रतिवेदन तथा 'लेखे एक दृष्टि में' का संयुक्त अवलोकन, हितधारकों को बिहार सरकार के विभिन्न वित्तीय पहलुओं को अधिक प्रभावी ढंग से समझने में सहायता प्रदान करेगी।

हमें आपकी मूल्यवान टिप्पणियों और सुझावों की अपेक्षा है, जो इस प्रकाशन के सुधार में सहायक होगी।

प्रवीण कुमार सिंह

**प्रवीण कुमार सिंह**
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०)
बिहार, पटना

स्थान : पटना

दिनांक : 02 अगस्त 2021

## हमारा दृष्टिकोण, उद्देश्य और बुनियादी मूल्य

**दृष्टिकोण:**

*(भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संस्थान का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि हम क्या बनना चाहते हैं।)*

हमें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक नेतृत्व एवं लोक वित्त तथा सार्वजनिक क्षेत्र में अंकेक्षण एवं लेखांकन के सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रारंभ करने और लोक वित्त तथा प्रशासन पर स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित और ससमय रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है।

**उद्देश्य:**

*(हमारा उद्देश्य हमारी वर्तमान भूमिका को निरूपित करता है तथा हमारे आज किये जाने वाले कार्य को परिभाषित करता है।)*

भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त, उच्च गुणवत्ता की लेखापरीक्षा तथा लेखाकरण के माध्यम से हम जवाबदेही, पारदर्शिता और अच्छे प्रशासन को प्रोत्साहित करते हैं और हमारे हितधारकों– विधानमंडल, कार्यपालिका तथा लोकजन को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करते हैं कि लोक धन का उपयोग कुशलतापूर्वक और अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

**हमारे बुनियादी मूल्य :**

*(हमारे आंतरिक मूल्य हमारे समस्त कार्यकलापों के मार्गदर्शक संकेत हैं तथा हमें हमारी निष्पादिता के आकलन हेतु निर्देश चिन्ह प्रदान करते हैं।)*

- **स्वतंत्रता**
- **उद्देश्यता**
- **सत्यनिष्ठा**
- **विश्वसनीयता**
- **व्यवसायिक कुशलता**
- **पारदर्शिता**
- **सकारात्मक दृष्टिकोण**

# विषय सूची


| अध्याय-I | विहंगावलोकन | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 1.1 | परिचय | 7 |
| 1.2 | लेखे की संरचना | 7 |
| 1.3 | वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे | 9 |
| 1.4 | निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग | 11 |
| 1.5 | लेखे की विशेषताएँ | 14 |
| 1.6 | घाटा और आधिक्य क्या इंगित करते हैं | 15 |
| **अध्याय-II** | **प्राप्तियाँ** | |
| 2.1 | परिचय | 18 |
| 2.2 | राजस्व प्राप्तियाँ | 18 |
| 2.3 | प्राप्तियों की प्रवृत्ति | 20 |
| 2.4 | राज्य का स्व-कर राजस्व संग्रहण की कार्यकुशलता | 22 |
| 2.5 | कर संग्रहण की दक्षता | 23 |
| 2.6 | विगत पाँच वर्षों में संघीय करों के राज्यांश की प्रवृत्ति | 24 |
| 2.7 | सहायता अनुदान | 24 |
| 2.8 | लोक ऋण | 25 |
| **अध्याय-III** | **व्यय** | |
| 3.1 | परिचय | 26 |
| 3.2 | राजस्व व्यय | 26 |
| 3.3 | पूँजीगत व्यय | 27 |
| **अध्याय-IV** | **स्थापना और प्रतिबद्ध एवं स्कीम व्यय** | |
| 4.1 | व्यय का संवितरण (2019-20) | 29 |
| 4.2 | स्कीम व्यय | 29 |
| 4.3 | स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय | 30 |
| 4.4 | वचनबद्ध व्यय | 31 |
| **अध्याय-V** | **विनियोग लेखे** | |
| 5.1 | वर्ष 2019-20 के विनियोग लेखे का सार | 32 |
| 5.2 | विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति | 32 |
| 5.3 | विशिष्ट बचतें | 33 |

| | | |
|---|---|---|
| **अध्याय-VI** | **परिसंपत्तियाँ तथा देयताएँ** | |
| 6.1 | परिसंपत्तियाँ | 37 |
| 6.2 | ऋण तथा देयताएँ | 37 |
| 6.3 | गारंटियाँ | 38 |
| **अध्याय-VII** | **अन्य विषयें** | |
| 7.1 | आंतरिक ऋण के अंतर्गत शेष | 39 |
| 7.2 | राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम | 39 |
| 7.3 | स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता | 39 |
| 7.4 | रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश | 40 |
| 7.5 | लेखा प्रेषण ईकाईयों द्वारा लेखा का प्रस्तुतीकरण | 40 |
| 7.6 | निवेश | 41 |
| 7.7 | अस्थायी अग्रिम और अग्रदाय की स्थिति | 41 |
| 7.8 | असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (ए०सी०) विपत्र | 42 |
| 7.9 | सहायता अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र | 43 |
| 7.10 | व्यक्तिगत जमा खाता | 44 |
| 7.11 | लेखे का मिलान | 46 |
| 7.12 | उचन्त लेखा शेष | 47 |
| 7.13 | अपूर्ण पूँजीगत कार्यों पर वचनबद्धता | 48 |
| 7.14 | भारत सरकार लेखांकन मानक (आई०जी०ए०एस०) का अनुपालन | 49 |

# अध्याय I

## विहंगावलोकन

### 1.1 परिचय

प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी), बिहार, विभिन्न अभिकरणों द्वारा प्रेषित लेखा आँकड़े का मिलान, वर्गीकरण, संकलन कर बिहार सरकार का लेखा तैयार करता है। यह संकलन, जिला कोषागारों, लोक निर्माण कार्य एवं वन प्रमंडलों, अन्य राज्यों/लेखा कार्यालयों द्वारा प्रतिवेदित मासिक लेखे के रूप में प्राप्त प्रारंभिक लेखे और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों पर आधारित होता है। प्रत्येक माह प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०) द्वारा मासिक सिविल लेखे बिहार सरकार को प्रेषित किये जाते हैं। वर्ष के संकलन कार्य वार्षिक वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार होने पर समाप्त होते हैं। ये महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार के द्वारा अंकेक्षण तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा प्रमाणीकरण के अधीन रहते हैं जिसके पश्चात ये विधानमंडल के पटल पर उपस्थापित किए जाते हैं।

### 1.2 लेखे की संरचना

#### *1.2.1 सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:-*

| | |
|---|---|
| **भाग-1**<br>**समेकित निधि** | सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व कर और करेतर राजस्व सहित, ऋण की उगाही और दिये गये ऋण का पुनर्भुगतान (उस पर देय ब्याज सहित) समेकित निधि में शामिल हैं।<br>सरकार के सभी खर्चे और संवितरण, ऋण का संवितरण और लिये गये ऋण का पुनर्भुगतान (उस पर देय ब्याज सहित)इस निधि से पूरित किये जाते हैं। |
| **भाग-2**<br>**आकस्मिक निधि** | आकस्मिक निधि एक अग्रदाय प्रकृति की है जो अप्रत्याशित परिस्थितियों में किए गए व्यय जो विधायिका से अनुमोदन की प्रतीक्षा में है को पुरा करता है। ऐसा व्यय समेकित निधि से प्रतिपूरित होता है । बिहार सरकार के लिए इस निधि का अग्रदाय ₹350 करोड़ है। |
| **भाग-3**<br>**लोक लेखा** | लोक लेखा में ऋण से संबंधित लेनदेन (जो भाग 1 में सम्मिलित है उनके अलावे),'जमा', 'अग्रिम', 'प्रेषण' और 'उचंत' को दर्ज किये जायेंगे। ऋण और जमा सरकार की देय देनदारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 'अग्रिम' सरकार के प्राप्य हैं। 'प्रेषण और उचंत' लेनदेन समायोजन प्रविष्टियाँ हैं जिन्हे लेखे के अंतिम शीर्षों में प्रविष्टि के पश्चात अंतिम रूप से समायोजित माना जाना है। |

## *1.2.2 लेखे का संकलन*

लेखा संकलन का प्रवाह चित्र
महालेखाकार कार्यालय
(द्वितीय संकलन)
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्रों को तैयार करना तथा कोषागार में प्रस्तुत करना
विस्तृत इन्द्राज
मुख्य शीर्षवार इन्द्राज
कोषागार द्वारा विपत्रों को पारित करना
अभिश्रवों को उत्पन्न करना
उप-लेखा तथा मुख्य लेखा को तैयार करना (प्राथमिक संकलन)
अभिश्रव स्तर पर कम्प्यूटरीकरण (भीएलसी)
बजट
विस्तृत पुस्त तथा समेकित सार
मासिक सिविल लेखा
इलेक्ट्रॉनिक कोषागार आँकड़े का भीएलसी के आँकड़े के साथ मिलान
वार्षिक लेखे

## 1.3 वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे

### *1.3.1 वित्त लेखे*

वित्त लेखे, सरकार के वर्ष के प्राप्तियों और संवितरणों का राजस्व और पूँजीगत लेखे द्वारा प्रदर्शित वित्तीय परिणाम, लोक ऋण तथा लोक लेखे में दर्ज शेषों के साथ लेखे में प्रदर्शित करता है । वित्त लेखे को और अधिक व्यापक तथा सूचनापरक बनाने के लिए इसे दो खण्डों में तैयार किया गया है। वित्त लेखे के खण्ड I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, समग्र प्राप्तियों तथा संवितरणों की सारांशीकृत विवरणियाँ तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, लेखे की गुणवत्ता एवं अन्य मदों से युक्त 'लेखे पर टिप्पणी' शामिल होते हैं । खण्ड II में विस्तृत विवरणियाँ (भाग-I) और परिशिष्टों (भाग-II) को रखा जाता है।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य की क्रियान्वयन अभिकरणों/गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त निधि सीधे जारी की है । वर्ष 2019-20 में, भारत सरकार ने बिहार में क्रियान्वयन अभिकरणों को ₹10,170 करोड़ (₹5,679 करोड़ पिछले वर्ष) सीधे जारी किये। चूंकि ये निधियाँ राज्य बजट के माध्यम से परिचालित नहीं होती है, इसलिए वे राज्य सरकार के लेखे में परिलक्षित नहीं होती है। इस प्रकार के निधियों के स्थानान्तरण को वर्तमान में वित्त लेखे के खण्ड II के परिशिष्ट VI में प्रदर्शित किया गया है।

निम्नलिखित विवरणी वर्ष 2019-20 के वास्तविक वित्तीय परिणाम के साथ बजट का विवरण प्रदान करता है।

| | बजट अनुमान | वास्तविकी | बजट अनुमान से वास्तविक की प्रतिशतता | स०रा०घ०उ० से वास्तविक की प्रतिशतता ( * ) |
|---|---|---|---|---|
| | *(₹ करोड़ में)* | | | |
| 1. कर राजस्व (केन्द्रीय अंशदान सहित) | 1,22,922 | 93,564 | 76 | 15 |
| 2. करेतर राजस्व | 4,806 | 3,700 | 77 | 1 |
| 3. सहायता अनुदान और अंशदान | 49,019 | 26,969 | 55 | 4 |
| 4. राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3) | 1,76,747 | 1,24,233 | 70 | 20 |
| 5. ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली | 416 | 30 | 7 | 0 |
| 6. अन्य प्राप्तियाँ | - | - | - | - |
| 7. उधार एवं अन्य दायित्व | 16,102 | 14,724 | 91 | 2 |
| 8. पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7) | 16,518 | 14,754 | 92 | 2 |
| 9. कुल प्राप्तियाँ (4+8) | 1,93,266 | 1,38,987 | 72 | 23 |
| 10. राजस्व व्यय | 1,55,230 | 1,26,017 | 81 | 21 |
| 11. ब्याज भुगतान पर व्यय (राजस्व व्यय से) | 10,723 | 10,991 | 102 | 2 |
| 12. पूँजीगत व्यय | 36,593 | 12,304 | 34 | 2 |
| 13. ऋणों तथा अग्रिमों का संवितरण | 1,442 | 666 | 46 | 0 |
| 14. कुल व्यय (10+12+13) | 1,93,266 | 1,38,987 | 72 | 23 |
| 15. राजस्व अधिशेष/घाटा (4-10) | 21,517 | 1,784 | 8 | 0 |
| 16. राजकोषीय घाटा (4+5-14) | 16,102 | 14,724 | 91 | 2 |

(*) 2019-20 के लिए स0रा0घ0उ0 ₹6,11,804 करोड़ था।

## वर्ष 2019-20 में प्राप्तियाँ और व्यय

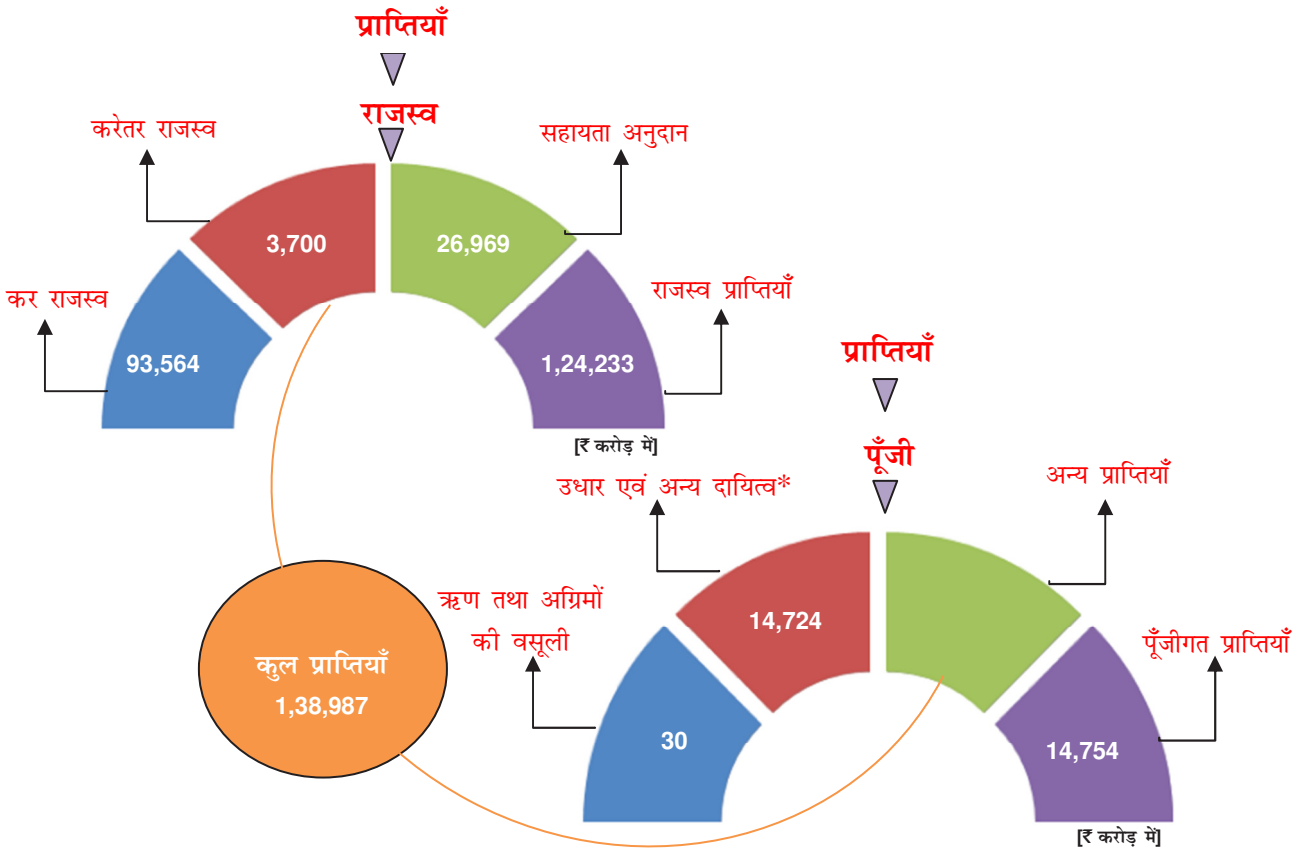


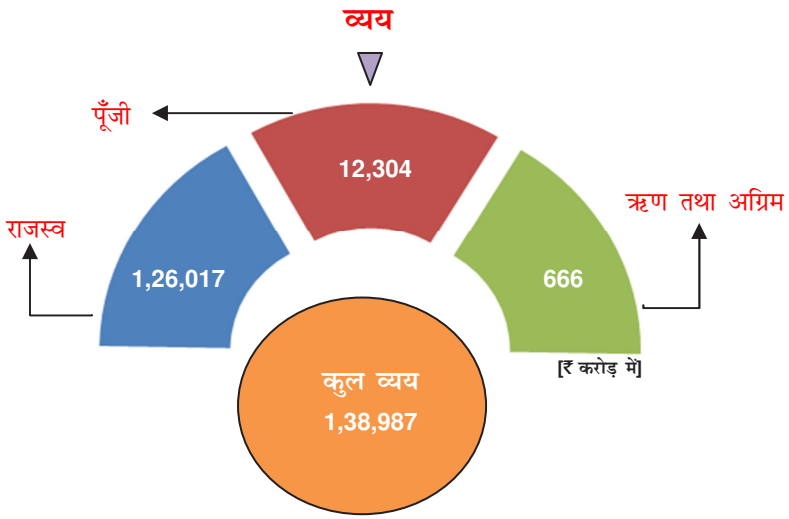


* उधार एवं अन्य दायित्व : लोक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण) + आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखा का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण) + आदि रोकड़ शेष तथा अंतरोकड़ शेष का निवल।

### *1.3.2 विनियोग लेखे*

संविधान के अंतर्गत, विधानमंडल की स्वीकृति के बिना सरकार द्वारा कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता है। संविधान में निर्दिष्ट कुछ व्यय, जो समेकित निधि पर भारित हैं तथा जिन्हें विधानमंडल के मत के बिना खर्च किया जा सकता है, को छोड़कर अन्य सभी व्यय के लिए 'मतदान' की आवश्यकता है। बिहार सरकार के बजट में 51 अनुदान/विनियोग है । विनियोग लेखे का उद्देश्य यह इंगित करना है कि विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधानमंडल द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वीकृत विनियोगों के साथ वास्तविक व्यय को किस सीमा तक अनुपालित किया गया है।

विनियोग अधिनियम, 2019-20 द्वारा ₹2,28,487 करोड़ का सकल व्यय और ₹0.01 करोड़ का व्यय में कमी (वसूलियों) के रूप में प्रावधानित किया गया था। इसके विरूद्ध वास्तविक सकल व्यय ₹1,49,642 करोड़ और व्यय में कमी ₹3,545 करोड़ हुआ। परिणामतः शुद्ध निवल बचत ₹78,848 करोड़ (34.51 प्रतिशत) हुआ और व्यय में कमी के रूप में ₹3,545 करोड़ का कम आकलन किया गया। सकल व्यय में संक्षिप्त आकस्मिक (ए०सी०) विपत्रों से आहरित राशि ₹4,231 करोड़ सम्मिलित है जिसमें से वर्ष के अंत तक ₹4,231 करोड़ से संबंधित विस्तृत आकस्मिक (डी०सी०) विपत्र अप्राप्त रहने के कारण अभी तक लंबित है।

## 1.4 निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग

### *1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम*

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को उनकी तरलता स्थिति को कायम रखने हेतु अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा प्रदान करता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक के साथ इसके लेखे में सम्मत न्यूनतम रोकड़ शेष (₹1.73 करोड़) में कमी आती है, तब ओवरड्राफ्ट (ओ०डी०) की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे अर्थोपाय अग्रिम जितनी ही अधिक राशि एवं जितनी ही अधिक संख्या में लिए या निकासी किए जाएँ, उतनी ही यह राज्य सरकार के रोकड़ शेष की प्रतिकूल स्थिति को प्रतिबिम्बित करता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, बिहार सरकार द्वारा बिना अग्रिम लिए ही न्यूनतम शेष को कायम रखा गया।

### *1.4.2 रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट*

भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट (ओ०डी०) तब लिया जाता है जब भारतीय रिजर्व बैंक के साथ न्यूनतम रोकड़ शेष बरकरार रखने की सीमा जो ₹1.73 करोड़ है में अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करने के बाद भी कमी आती है। वर्ष 2019-20 के दौरान बिहार सरकार ने न्यूनतम शेष बिना अग्रिम लिये कायम रखा।

### *1.4.3 निधि प्रवाह का विवरण*

राज्य का राजस्व घाटा ₹1,784 करोड़ और राजकोषीय घाटा ₹14,724 करोड़ रहा, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्रमशः 0.29 प्रतिशत और 2.41 प्रतिशत को इंगित करता है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 10.59 प्रतिशत है। इस घाटे को लोक ऋण (₹22,035 करोड़) में वृद्धि, लोक लेखे ₹6,880 करोड़ में

वृद्धि और आदि तथा अंत शेष के निवल ₹430.95 करोड़ से पूरित किया गया। ₹49,322 करोड़ जो राज्य सरकार के राजस्व प्राप्ति (₹1,24,233 करोड़) का लगभग 39.70 प्रतिशत वचनबद्ध व्यय, जैसे- वेतन (₹20,376 करोड़), ब्याज संदाय (₹11,836 करोड़) तथा पेंशन (₹ 17,110 करोड़) पर खर्च किया गया।

## निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

| | विवरण | राशि |
|---|---|---|
| स्रोत | 1 अप्रैल 2018 को रिजर्व बैंक प्रारंभिक रोकड़ शेष | 157 |
| | राजस्व प्राप्तियाँ | 1,24,233 |
| | ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ | 30 |
| | लोक ऋण | 29,145 |
| | लघु बचतें, भविष्य निधियाँ तथा अन्य | 2,038 |
| | आरक्षित तथा शोधन निधियाँ | 2,610 |
| | जमा प्राप्तियाँ | 60,400 |
| | सिविल पेशगियाँ पुनर्भुगतान | 0 |
| | उचंत लेखा | 6,36,270 |
| | प्रेषण | 3 |
| | आकस्मिकता निधि | 0 |
| | **जोड़** | **8,54,886** |

| | | |
|---|---|---|
| अनुप्रयोग | राजस्व व्यय | 1,26,017 |
| | पूँजीगत व्यय | 12,304 |
| | प्रदत्त ऋण | 666 |
| | लोक ऋण का पुनर्भुगतान | 7,110 |
| | लघु बचतें, भविष्य निधियाँ तथा अन्य | 1,848 |
| | आरक्षित तथा शोधन निधियाँ | 2,086 |
| | जमा राशि से किए गए व्यय | 58,688 |
| | प्रदत्त सिविल पेशगियाँ | 0 |
| | उचंत लेखा | 6,44,779 |
| | प्रेषण | 800 |
| | 31 मार्च 2019 को रिजर्व बैंक रोकड़ अंतशेष | 588 |
| | **जोड़** | **8,54,886** |

### 1.4.4 रुपया जहाँ से आया

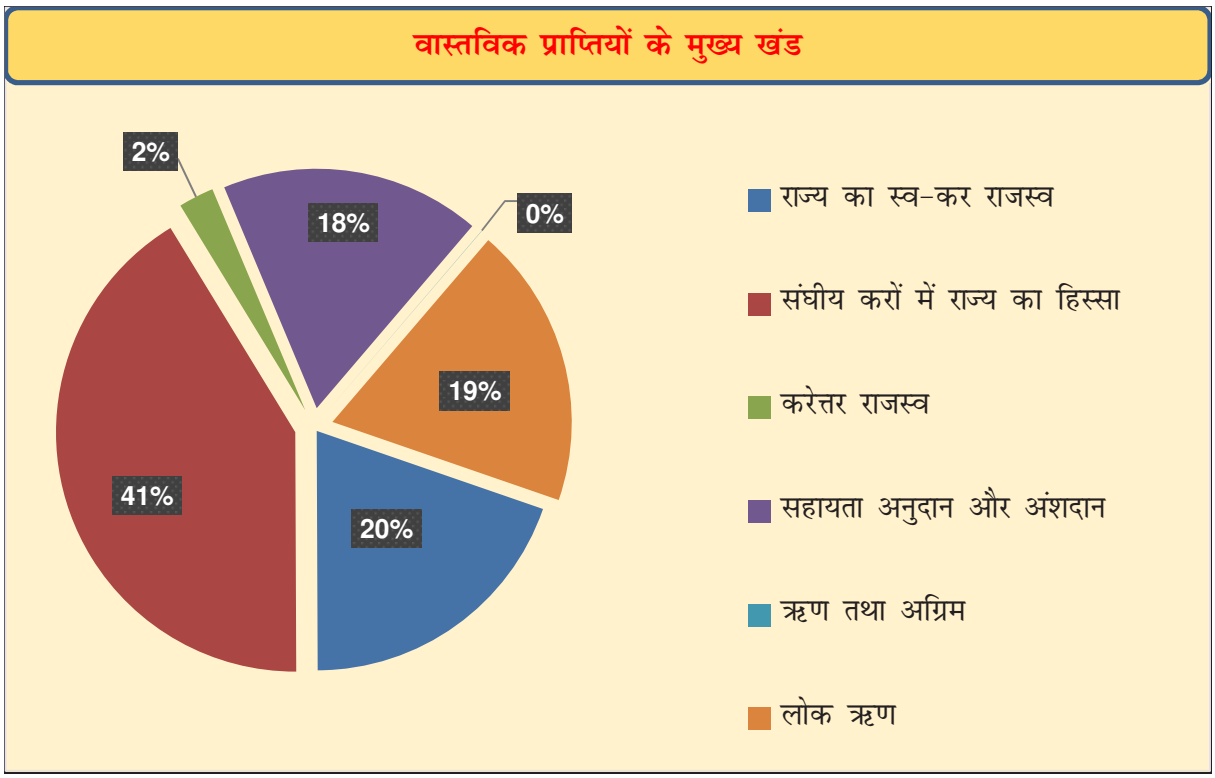


### 1.4.5 रुपया जहाँ गया

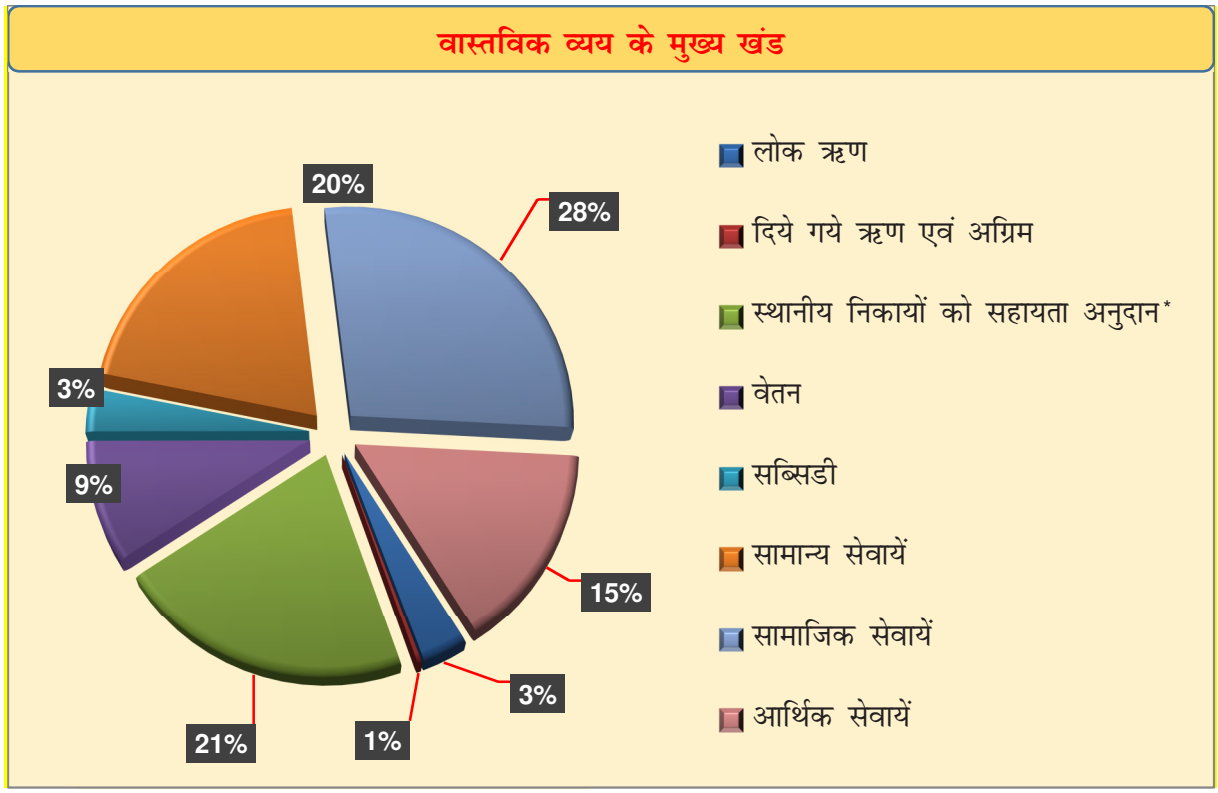


* मध्याह्न भोजन योजना, साईकिल योजना, पोशाक योजना एवं सर्व शिक्षा अभियान आदि पर भी हुआ व्यय शामिल हैं।

## 1.5 वर्ष 2018-19 के वित्तीय विशेषताएँ

| | बजट अनुमान 2018-19 | वास्तविक | बजट अनुमान से वास्तविक की प्रतिशतता | स०रा०घ०उ० से वास्तविक की प्रतिशतता ($) |
|---|---|---|---|---|
| | (₹ करोड़ में) | | | |
| 1. राज्य का स्व-कर राजस्व | 33,800 | 30,158 | 89 | 5 |
| 2. संघीय करों में राज्य का हिस्सा | 89,122 | 63,406 | 71 | 10 |
| 3. करेत्तर राजस्व | 4,806 | 3,700 | 77 | 1 |
| 4. सहायता अनुदान तथा अंशदान | 49,019 | 26,969 | 55 | 4 |
| **5. राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)** | **1,76,747** | **1,24,233** | **70** | **20** |
| 6. अन्य प्राप्तियाँ | - | - | - | - |
| 7. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली | 416 | 30 | 7 | 0 |
| 8. उधार एवं अन्य दायित्व (A) | 16,102 | 14,724 | 91 | 2 |
| **9. पूँजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)** | **16,518** | **14,754** | **89** | **2** |
| **10. कुल प्राप्तियाँ (5+9)** | **1,93,265** | **1,38,987** | **72** | **23** |
| 11. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (*) | 91,874 | 81,549 | 89 | 13 |
| 12. राजस्व लेखा | 91,637 | 81,441 | 89 | 13 |
| 13. 12 के व्यय में से ब्याज अदायगी | 10,723 | 10,991 | 102 | 2 |
| 14. पूँजीगत लेखा | 237 | 107 | 45 | 0 |
| 15. स्कीम व्यय (*) | 1,01,391 | 57,438 | 57 | 9 |
| 16. राजस्व लेखा | 63,593 | 44,576 | 70 | 7 |
| 17. पूँजीगत लेखा | 33,798 | 12,863 | 38 | 2 |
| **18. कुल व्यय (11+15)** | **1,93,265** | **1,38,987** | **72** | **23** |
| **19. राजस्व व्यय (12+16)** | **1,55,230** | **1,26,017** | **81** | **21** |
| **20. पूँजीगत व्यय (14+17) (#)** | **34,035** | **12,970** | **38** | **2** |
| **21. राजस्व आधिक्य (5-19)(@)** | **21,517** | **1,784** | **8** | **1** |
| **22. राजकोषीय घाटा (5+6+7-18)(@)** | **16,102** | **14,724** | **91** | **2** |

($) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स०रा०घ०उ०) का आँकड़ा ₹6,11,804 करोड़ बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) से प्राप्त सूचना से लिया गया है।

(#) पूँजीगत लेखे पर व्यय में पूँजीगत व्यय (₹12,304 करोड़), संवितरित कर्ज एवं अग्रिम (₹666 करोड़) सम्मिलित है।

(*) स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत ₹57 करोड़ तथा स्कीम व्यय के अंतर्गत ₹609 करोड़ जो कर्ज एवं अग्रिमों से संबंधित है, व्यय में सम्मिलित है।

(A) उधार एवं अन्य दायित्व : लोक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण)+आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखे का निवल (प्राप्तियाँ-व्यय) + आरंभिक एवं अंत रोकड़ शेष का निवल।

(@) राजस्व आधिक्य तथा राजकोषीय घाटे की गणना में उदय अंतर्गत व्यय शामिल है।

### *घाटा और आधिक्य क्या निरूपित करता है ?*

| | |
|---|---|
| **घाटा** | राजस्व और व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। घाटे की प्रकृति, घाटे का वित्त पोषण कैसे किया गया है तथा निधियों का प्रयोग वित्तीय प्रबंधन में दूरदर्शिता के महत्वपूर्ण सूचक हैं। |
| **राजस्व घाटा/अधिशेष** | राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। राज्य सरकार के वर्त्तमान स्थापना को बनाए रखने के लिए राजस्व व्यय आवश्यक होता है और सिद्धांतत: इसे राजस्व प्राप्ति से पूरित होना चाहिए। |
| **राजकोषीय घाटा/अधिशेष** | कुल प्राप्तियों (उधारों को छोड़कर) और कुल व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। इसलिए यह अंतर इंगित करता है कि व्यय को किस हद तक उधारों के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। सिद्धांतत: उधारों का निवेश पूँजीगत परियोजनाओं में होना चाहिए। |

## 1.6 बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन ( बीएफ०आर०बी०एम० ) अधिनियम, 2006

राज्य सरकार द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 सह पठित बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016 में निर्धारित लक्ष्य, 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा तथा 2019-20 के लेखे के अनुसार उपलब्धियाँ निम्नवत है:

| क्रम सं. | लक्ष्य | उपलब्धियाँ |
|---|---|---|
| 1 | 2007-08 में राजस्व आधिक्य प्राप्त करना तथा तत्पश्चात् आधिक्य बनाए रखना | वर्ष 2019-20 के लिए राजस्व घाटा यदि उदय अंतर्गत व्यय ₹196.36 करोड़ को शामिल किया जाता है तो ₹1,784.13 करोड़ (जीएसडीपी का 0.29 प्रतिशत) होगा।<br>उदय अंतर्गत व्यय को छोड़कर यह ₹1,592.77 करोड़ (जीएसडीपी का 0.26 प्रतिशत) होगा। |
| 2 | राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)* के अनुपात को वर्ष 2011-12 में 3.00 प्रतिशत लाना तथा इसे 2019-20 तक बनाए रखना | वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य का राजकोषीय घाटा ₹14,723.93 करोड़ है जो उदय अंतर्गत खर्च को सम्मिलित कर जीएसडीपी का 2.41 प्रतिशत है।<br>उदय के तहत खर्च को छोड़कर राजकोषीय घाटा ₹14,532.57 करोड़ है जो जीएसडीपी का 2.38 प्रतिशत है। |
| 3 | वित्तीय वर्ष 2019-20 में ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में 25.73 प्रतिशत तक लाना | लेखे के अनुसार, 2019-20 के दौरान ऋण एवं बकाया दायित्व (₹1,93,381.84 करोड़) (उदय सहित ₹2,331.78 करोड़), आकलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 31.61 प्रतिशत है।<br>लेखे के अनुसार, 2019-20 के दौरान ऋण एवं बकाया दायित्व (₹1,91,050.06 करोड़) (उदय को छोड़कर ₹2,331.78 करोड़), आकलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 31.23 प्रतिशत है। |
| 4 | वित्तीय वर्ष 2019-20 में कर राजस्व संग्रहण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) प्रतिशत के रूप में 21.46 प्रतिशत तक बढ़ाना | लेखे के अनुसार, 2019-20 के दौरान कर राजस्व संग्रहण (₹93,564.31 करोड़) आकलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 15.29 प्रतिशत है। |

*स्रोत : योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय), बिहार का पत्रांक सं० रा०आ०(वि०)-02/2020/807/पटना दिनांक 13-08-2020 वर्ष 2019-20 में बिहार के लिए जीएसडीपी का आँकड़ा ₹6,11,804 करोड़ एनटीए में एफआरबीएम लक्ष्य पूर्ति-गणना के लिए लिया गया।

यद्यपि राज्य सरकार द्वारा बीएफआरबीएम अधिनियम के अधीन नियमों की रचना अभी तक नहीं की गई है।

### *1.6.1 राजस्व घाटा / आधिक्य की प्रवृत्ति (उदय को छोड़कर)*

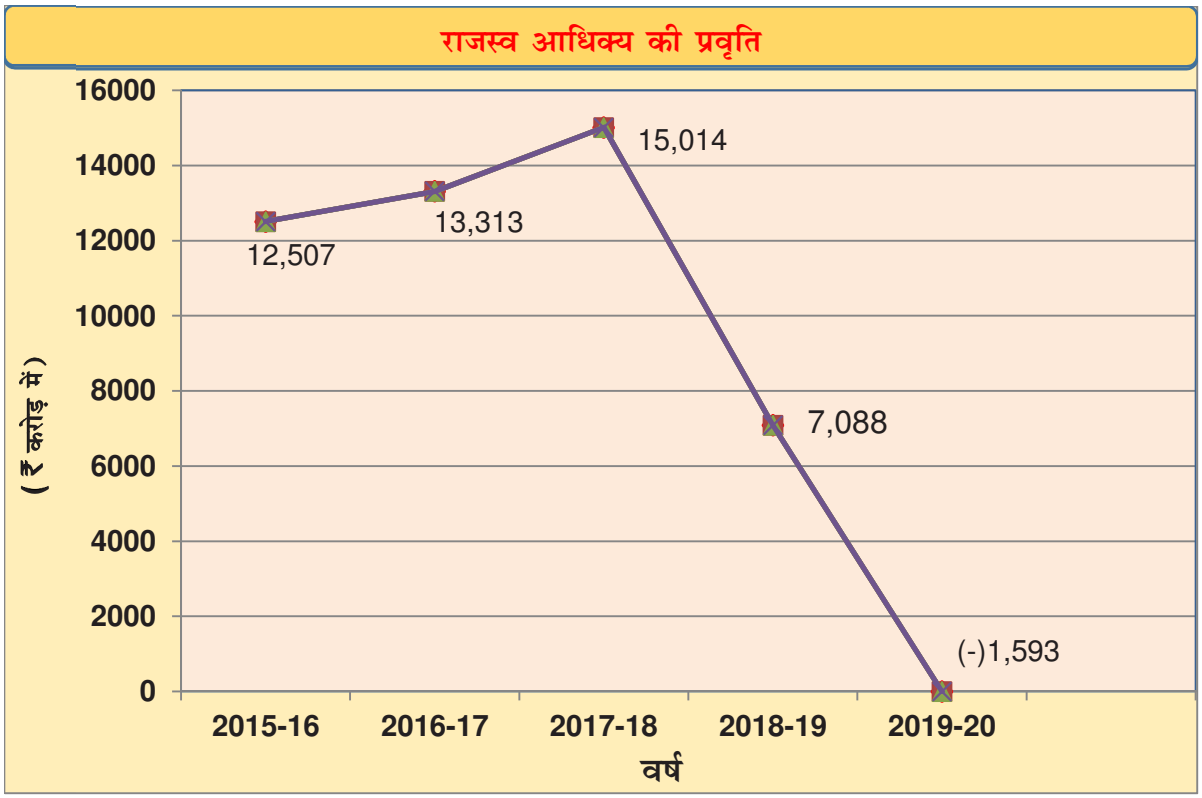


### *1.6.2 राजकोषीय घाटा की प्रवृत्ति (उदय को छोड़कर)*

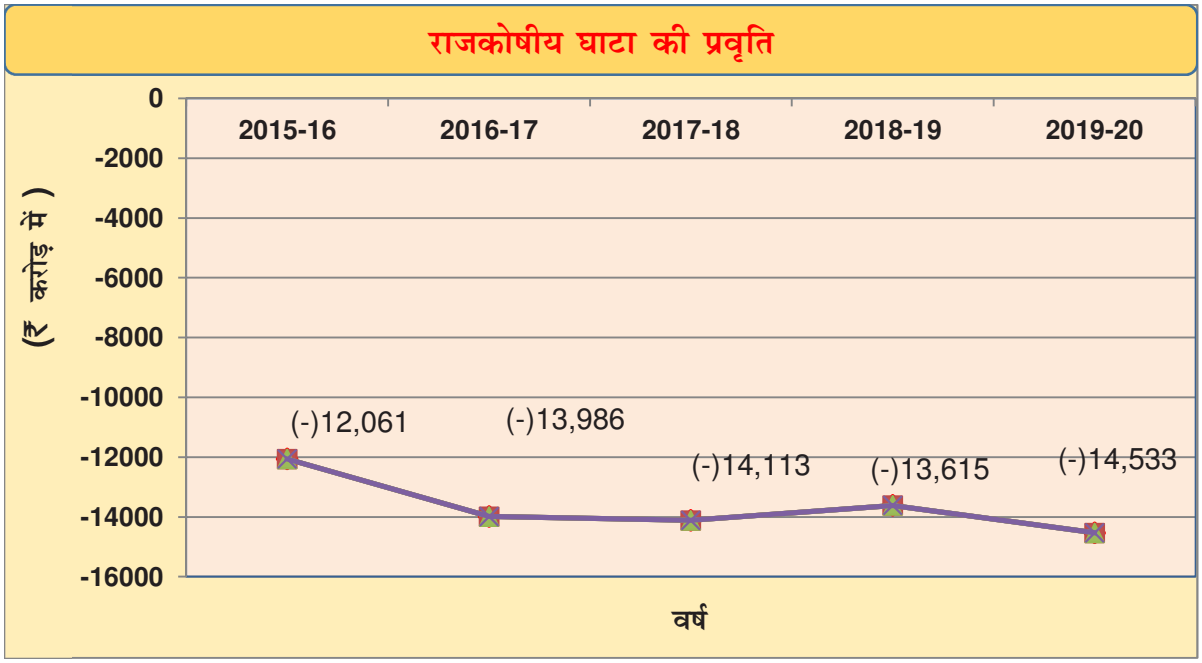

### *1.6.3 उधार ली गई निधियों से पूँजीगत व्यय पर किए गए खर्च का अनुपात*

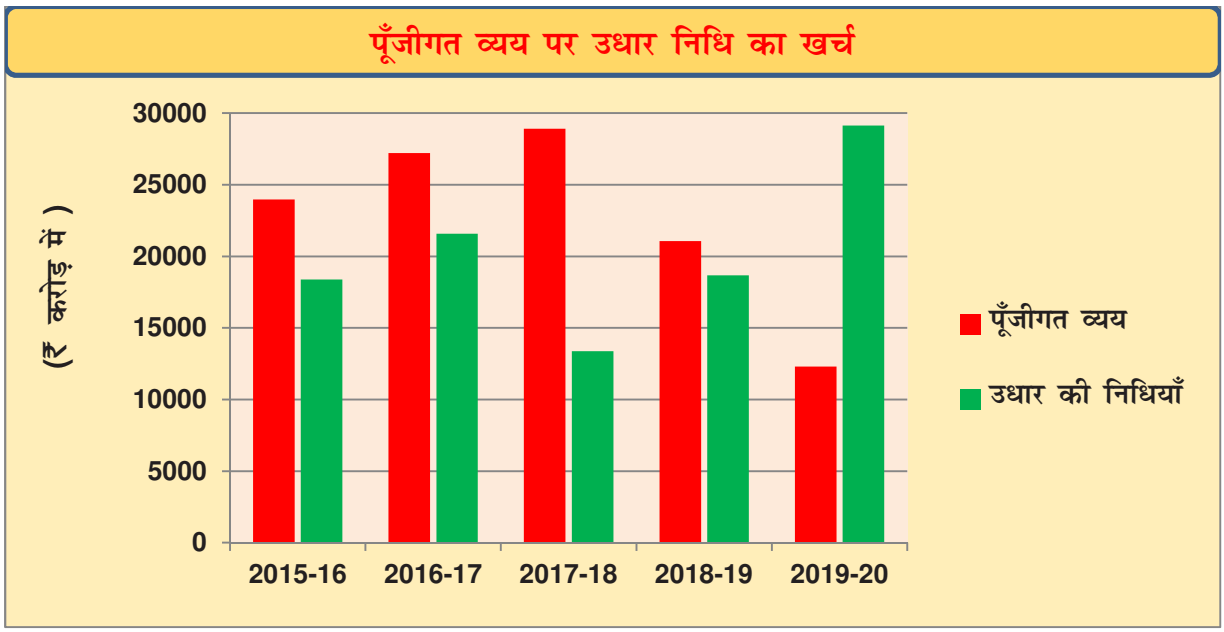


यह वांछनीय है कि पूँजीगत व्यय उधार ली गई निधियों से पूर्णत: वित्त पोषित हो तथा राजस्व प्राप्तियों का उपयोग मूलधन तथा ब्याज की वापसी अदायगी के लिए किया जाय । राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान अपने पूँजीगत व्यय (₹12,304 करोड़) को चालू वर्ष के उधारों (₹29,145 करोड़) और राजस्व आधिक्य (₹1,784 करोड़) से वित्त पोषित किया गया है।

# अध्याय II

## प्राप्तियाँ

### 2.1 परिचय

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियाँ एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2019-20 के लिए कुल प्राप्तियाँ ₹1,38,987 करोड़ थी।

### 2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

| | |
|---|---|
| **कर राजस्व** | राज्य सरकार द्वारा संग्रहित तथा लगाये गये कर और संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के अन्तर्गत संघीय करों का राज्यांश सम्मिलित है। |
| **करेत्तर राजस्व** | ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ इत्यादि सम्मिलित है। |
| **सहायता अनुदान** | मूलतः, संघ सरकार से राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त संघ सरकार के माध्यम से विदेशी सरकारों से प्राप्त बाह्य सहायता अनुदान एवं सहायता, सामग्री तथा उपस्कर सम्मिलित हैं। |

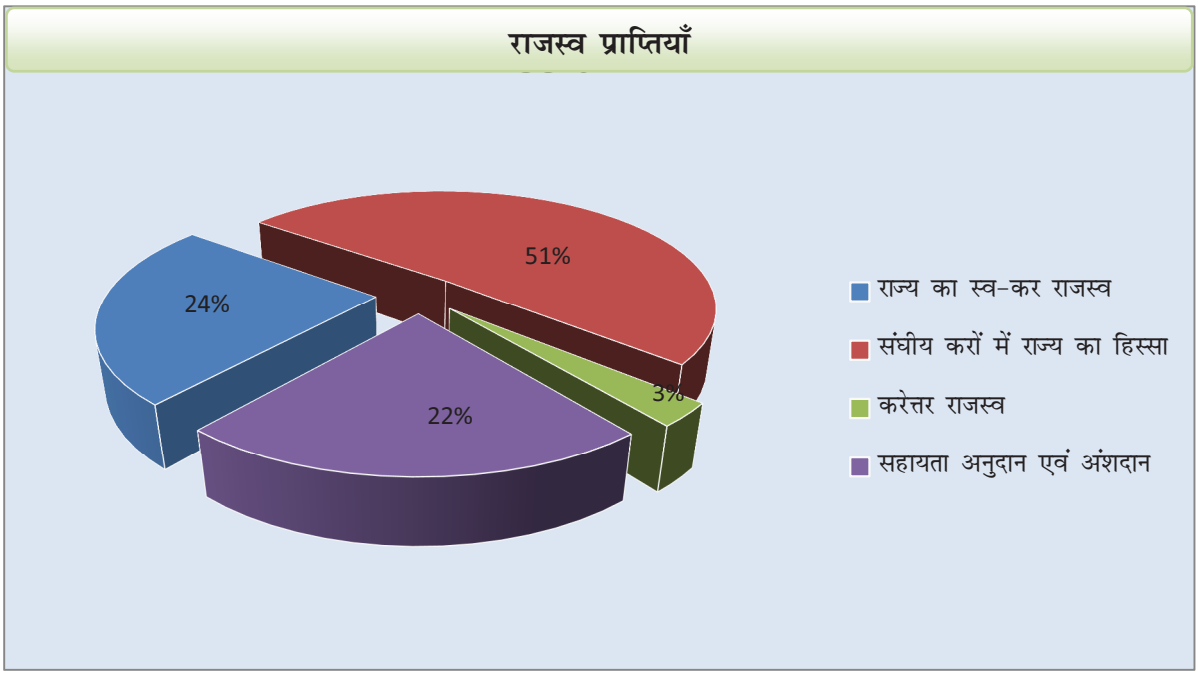

## राजस्व प्राप्ति के घटक (2018-19)

(₹ करोड़ में)

| घटक | | वास्तविकी |
|---|---|---|
| **क.** | **कर राजस्व** | **93,564** |
| | **राज्य का स्व-कर राजस्व** | **30,158** |
| | वस्तु और सेवा कर | 15,801 |
| | आय तथा व्यय पर कर | 114 |
| | सम्पत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर | 4,936 |
| | वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर | 9,307 |
| | **संघीय करों में राज्य का हिस्सा** | **63,406** |
| | वस्तु और सेवा कर | 17,993 |
| | आय तथा व्यय पर कर | 38,559 |
| | सम्पत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर | 1 |
| | वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर | 6,853 |
| **ख.** | **करेत्तर राजस्व** | **3,700** |
| | ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ | 1,418 |
| | सामान्य सेवायें | 342 |
| | सामाजिक सेवायें | 123 |
| | आर्थिक सेवायें | 1,817 |
| **ग.** | **सहायता अनुदान तथा अंशदान** | **26,969** |
| | **कुल- राजस्व प्राप्तियाँ** | **1,24,233** |

## 2.3 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

| | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| कर राजस्व | 74,372 (20) | 82,623 (19) | 88,220 (18) | 1,03,011 (18) | 93,564 (15) |
| करेत्तर राजस्व | 2,186 (0.59) | 2,403 (0.56) | 3,507 (0.72) | 4,131 (0.74) | 3,700 (0.60) |
| सहायता अनुदान | 19,565 (5) | 20,559 (5) | 25,720 (5) | 24,652 (4) | 26,969 (4) |
| कुल राजस्व प्राप्तियाँ | 96,123 (26) | 1,05,585 (25) | 1,17,447 (24) | 1,31,794 (24) | 1,24,233 (20) |
| स०रा०घ०उ० | 3,69,469 | 4,25,888 | 4,87,628 | 5,57,490 | 6,11,804 |

नोट : कोष्ठक में दर्शाये गये आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को दर्शाते हैं ।

यद्यपि वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के बीच सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 10% की वृद्धि हुई, राजस्व संग्रहण में 6% की कमी हुई। वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में कर राजस्व में 9% की कमी तथा करेतर राजस्व में 10% की कमी हुई। करेतर राजस्व में वृद्धि मुख्यत: निम्न के अंतर्गत अधिक संग्रहण के कारण हुई:

- 'ब्याज प्राप्तियाँ' (₹1,416 करोड़),
- 'अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग' (₹1,572 करोड़),
- 'पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियाँ' (₹2 करोड़) तथा
- 'लोक सेवा आयोग' (₹70 करोड़)।

इसके अलावा वर्ष 2019-20 में 'शिक्षा, खेल-कूद, कला और संस्कृति' तथा 'चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य' के तहत संग्रहण क्रमश: ₹17 करोड़ तथा ₹48 करोड़ हुआ, जबकि वर्ष 2018-19 में इनके विरूद्ध संग्रहण क्रमश: ₹19 करोड़ तथा ₹67 करोड़ था। राज्य के स्व-कर राजस्व के अंतर्गत 'स्टांप एवं पंजीकरण शुल्क' (₹4,661 करोड़) और 'वाहन कर' (₹2,713 करोड़) में वृद्धि का रूझान देखा गया।

**राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत घटकों की प्रवृति**

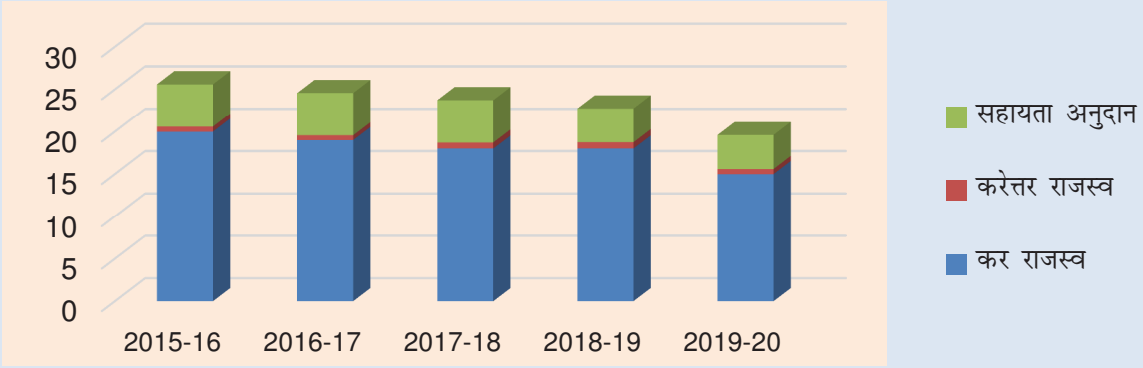

## खण्डवार कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

| | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| वस्तु और सेवा कर | 0 | 0 | 14,244 | 34,905 | 33,794 |
| आय तथा व्यय पर कर | 26,085 | 32,097 | 36,857 | 44,573 | 38,673 |
| संपत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर | 4,108 | 3,996 | 4,503 | 4,675 | 4,937 |
| वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर | 44,179 | 46,530 | 32,616 | 18,688 | 16,160 |
| **कुल- कर राजस्व** | **74,372** | **82,623** | **88,220** | **1,03,011** | **93,564** |

कुल कर राजस्व में वृद्धि मुख्यत: 'वस्तु और सेवा कर' (₹33,794 करोड़), 'निगम कर' (₹21,619 करोड़), 'आय पर निगम कर से भिन्न कर' (₹16,940 करोड़), तथा 'वाहन कर' (₹275 करोड़) के अन्तर्गत अत्यधिक संग्रहण के कारण हुई है।

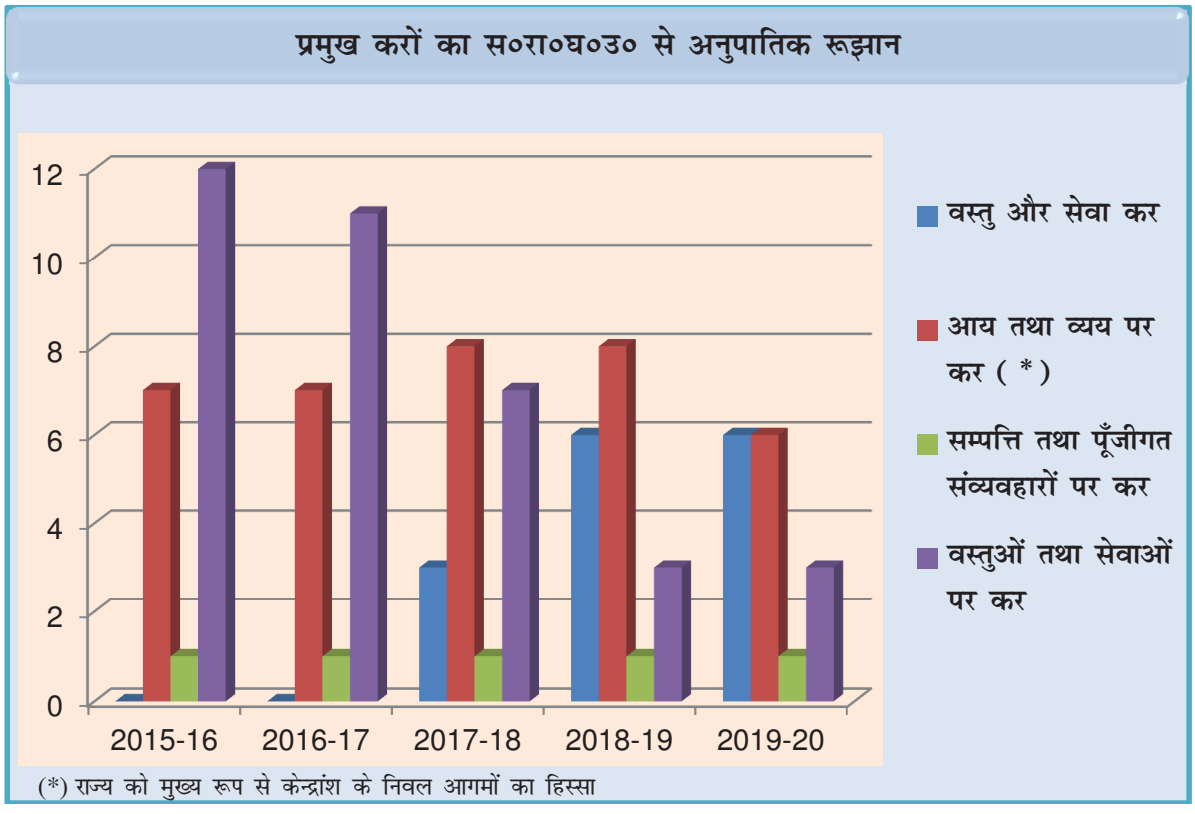

## 2.4 राज्य का स्व-कर एवं संघीय करों का राज्यांश

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | कर राजस्व | संघीय करों का राज्यांश | राज्य का स्व-कर राजस्व | |
|---|---|---|---|---|
| | | | राशि | स०रा०घ०उ० की प्रतिशतता |
| 2015 - 16 | 74,372 | 48,923 | 25,449 | 6.89% |
| 2016 - 17 | 82,623 | 55,881 | 23,742 | 5.57% |
| 2017 - 18 | 88,220 | 65,083 | 23,137 | 4.74% |
| 2018 - 19 | 1,03,011 | 73,603 | 29,408 | 5.27% |
| 2019 - 20 | 93,564 | 63,406 | 30,158 | 4.93% |

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राज्य के स्व-कर राजस्व का अनुपात प्रत्यक्ष रूप से 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित लक्ष्य 6.40% से कम है। जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष ''संघीय करों का राज्यांश'' 2015-16 के 13.24% से घटकर 2019-20 में 10.36% हो गया है, उसी अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष ''राज्य के स्व-कर राजस्व'' 4.93% से घटकर 6.88% रह गया है।

### *2.4.1 विगत पाँच वर्षों में राज्य के स्व-कर संग्रहण की प्रवृति*

(₹ करोड़ में)

| कर | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| बिक्री और व्यापार आदि पर कर | 10,603 | 11,873 | 8,298 | 6,584 | 6,121 |
| राज्य वस्तु और सेवा कर | 0 | 0 | 6,747 | 15,288 | 15,801 |
| स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क | 3,409 | 2,982 | 3,726 | 4,189 | 4,661 |
| माल तथा यात्री कर | 6,087 | 6,246 | 1,645 | 399 | 23 |
| वाहन कर | 1,081 | 1,257 | 1,599 | 2,086 | 2,713 |
| भू राजस्व | 695 | 971 | 778 | 477 | 275 |
| आय तथा व्यय पर अन्य कर | 65 | 79 | 87 | 125 | 114 |
| राज्य उत्पाद शुल्क | 3,142 | 29 | (-)3 | (-)10 | (-)4 |
| अन्य | 367 | 305 | 260 | 270 | 454 |
| **राज्य का कुल स्व-कर** | **25,449** | **23,742** | **23,137** | **29,408** | **30,158** |

## 2.5 कर संग्रहण की दक्षता

### *क. वस्तु और सेवा कर*

(₹ करोड़ में)

| | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| **राजस्व संग्रहण** | 0 | 0 | 14,244 | 34,905 | 33,794 |
| **संग्रहण पर व्यय** | 0 | 0 | 72 | 114 | 121 |
| **कर संग्रहण की दक्षता** | 0 | 0 | 0.5% | 0.32% | 0.36% |

### *ख. संपत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर*

(₹ करोड़ में)

| | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| **राजस्व संग्रहण** | 4,108 | 3,996 | 4,503 | 4,675 | 4,937 |
| **संग्रहण पर व्यय** | 486 | 477 | 564 | 583 | 290 |
| **कर संग्रहण की दक्षता** | 12% | 12% | 13% | 12% | 6% |

### *ग. वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर*

(₹ करोड़ में)

| | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| **राजस्व संग्रहण** | 44,179 | 46,530 | 32,615 | 18,726 | 16,160 |
| **संग्रहण पर व्यय** | 180 | 256 | 289 | 269 | 326 |
| **कर संग्रहण की दक्षता** | 0.41% | 0.55% | 0.89% | 1.43% | 2.02% |

वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर, कर राजस्व का एक मुख्य अंश है। वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर संग्रहण की दक्षता संतोषप्रद है।

## 2.6 विगत पाँच वर्षों में संघीय करों के राज्यांश की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

| | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| वस्तु और सेवा कर | 0 | 0 | 7,497 | 19,617 | 17,993 |
| निगम कर | 15,378 | 18,889 | 19,936 | 25,597 | 21,619 |
| निगम कर से भिन्न आय पर कर | 10,643 | 13,128 | 16,834 | 18,851 | 16,940 |
| संपत्ति कर | 4 | 43 | (-)1 | 9 | 1 |
| सीमा शुल्क | 7,850 | 8,126 | 6,570 | 5,217 | 4,019 |
| संघ उत्पाद शुल्क | 6,577 | 9,279 | 6,868 | 3,467 | 2,794 |
| सेवा कर | 8,430 | 9,416 | 7,379 | 673 | 0.00 |
| वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क | -- | -- | -- | 171 | 40 |
| **संघीय करों का राज्यांश** | **48,923** | **58,881** | **65,083** | **73,603** | **63,406** |
| **कुल राजस्व कर** | **74,372** | **82,623** | **88,220** | **1,03,011** | **93,564** |
| **कुल राजस्व कर से संघीय करों का प्रतिशत** | **66** | **71** | **74** | **71** | **68** |
| **सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष संघीय करों का प्रतिशत** | **13** | **14** | **13** | **13** | **10** |

## 2.7 सहायता अनुदान

सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशियों को दर्शाता है तथा इसमें केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, वित्त आयोग अनुदान तथा राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान शामिल हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान सहायता अनुदान के अन्तर्गत कुल प्राप्ति ₹26,969 करोड़ थी, जो निम्नवत है:-

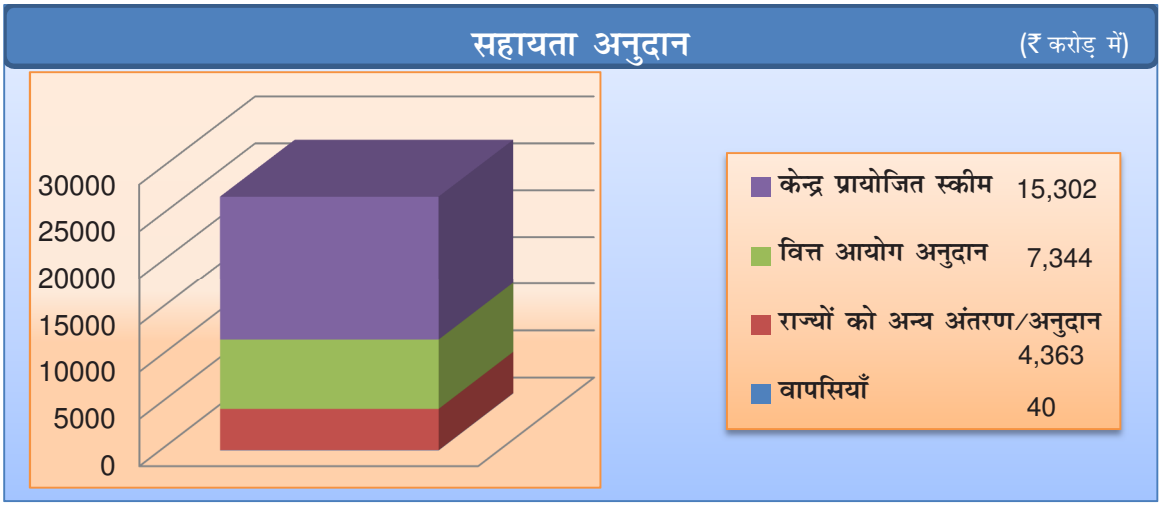

सहायता अनुदान वर्ष 2018-19 के तुलना में 2019-20 में बढ़कर 9.39 प्रतिशत हो गया। सहायता अनुदान के बजट अनुमान ₹49,019 करोड़ के विरूद्ध राज्य सरकार ने वास्तविक रूप से ₹26,969 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त किया (बजट अनुमान का 55 प्रतिशत)।

## 2.8 लोक ऋण

लोक ऋण में आंतरिक ऋण और भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम सम्मिलित होते हैं। आंतरिक ऋण में, बाजार कर्ज, आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम, वित्तीय संस्थानों से कर्ज तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधि आदि को जारी विशेष बंध पत्र सम्मिलित होते है।

### विगत पाँच वर्षों में लोक ऋण का रूझान

(₹ करोड़ में)

| | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| **आंतरिक ऋण** | 14,142 | 16,604 | 7,930 | 9,835 | 21,722 |
| **केन्द्रीय कर्ज** | 116 | 758 | 586 | 1,603 | 313 |
| **कुल लोक ऋण** | 14,258 | 17,362 | 8,516 | 11,438 | 22,035 |

नोट - ऋणात्मक आँकड़े प्राप्तियों से अधिक भुगतान किए जाने को दर्शाते हैं।

वर्ष 2019-20 में, कुल ₹25,573 करोड़ के सात ऋण जो वर्ष 2030-31 में विमुक्त योग्य होंगे, को ब्याज दर 6.35 प्रतिशत से 9.84 प्रतिशत के बीच के सममूल्य पर लिए गये।

2019-20 के दौरान राज्य सरकार के कुल आंतरिक ऋण ₹27,865 करोड़ एवं इस अवधि के दौरान केन्द्रीय ऋण घटक के रूप में प्राप्त ₹1,279 करोड़ के जोड़ के विरूद्ध पूँजीगत परिव्यय ₹12,304 करोड़ था, जो दर्शाता है कि कुल लोक ऋण का उपयोग पूँजीगत परिसम्पतियों के निर्माण एवं विकासशील उद्देश्यों के लिए किया गया।

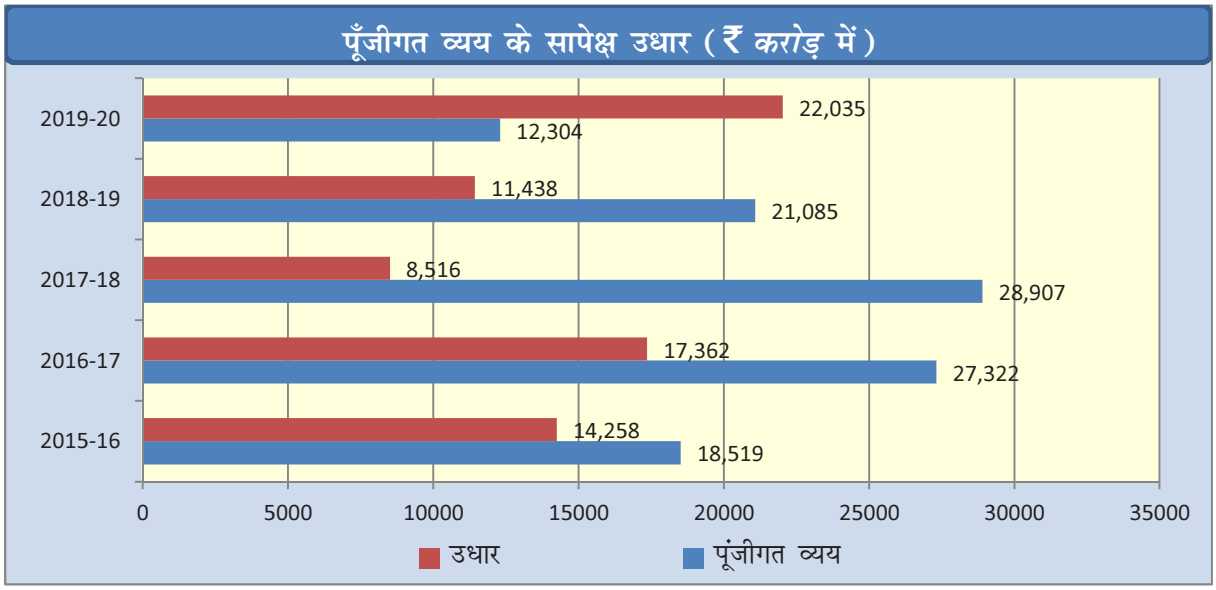

# अध्याय III

## व्यय

### 3.1 परिचय

व्यय को राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व व्यय का अभिप्राय वस्तु एवं सेवाओं के वर्तमान उपभोग तथा विभागीय गैर-पूंजीगत गतिविधियों के स्थापना व्यय से है। पूँजीगत व्यय भौतिक एवं स्थाई प्रकृति की नई परिसंपत्तियों के निर्माण अथवा वर्त्तमान परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि करने के लक्ष्य से किया गया व्यय है। इसमें निवेश भी शामिल होता है जिससे वर्ष के बाद निवेश पर लाभ प्राप्त होता है।

| | |
|---|---|
| **सामान्य सेवायें** | सामान्य प्रशासन, न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग, पेंशन इत्यादि सम्मिलित हैं। |
| **सामाजिक सेवायें** | शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जलापूर्ति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण इत्यादि सम्मिलित हैं। |
| **आर्थिक सेवायें** | कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि सम्मिलित हैं। |

### 3.2 राजस्व व्यय

वर्ष 2019-20 के लिए राजस्व व्यय ₹1,26,017 करोड़ बजट अनुमान से ₹29,213 करोड़ कम था। वर्ष 2019-20 में राजस्व व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स०रा०घ०उ०) का 21 प्रतिशत था। स्कीम व्यय के अन्तर्गत ₹19,017 करोड़ तथा स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत ₹10,196 करोड़ का कम खर्च हुआ। विगत पाँच वर्षों के दौरान राजस्व प्रभाग के अंतर्गत बजट अनुमानों के विरूद्ध व्यय में कमी निम्नवत है:-

(₹ करोड़ में)

| | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| **बजट अनुमान** | 91,209 | 1,09,941 | 1,22,603 | 1,36,740 | 1,55,230 |
| **वास्तविकी व्यय** | 83,616 | 94,765 | 1,02,624 | 1,24,897 | 1,26,017 |
| **अन्तर** | 7,593 | 15,176 | 19,979 | 11,843 | 29,213 |
| **बजट अनुमान से अंतर का %** | 8 | 16 | 16 | 9 | 19 |

राज्य उपलब्ध संसाधनों के बाद भी बजट का व्यय नहीं कर सका। बजटीय व्यय से वास्तविक व्यय के मध्य प्रतिशत अंतर 19 था जो विकास हेतु व्यय की गति बढ़ाने की आवश्यकता को इंगित करता है।

### *3.2.1 राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण (2018-19)*

| घटक | राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| क. सामान्य सेवायें | 41,628 | 33 |
| ख. सामाजिक सेवायें | 57,816 | 46 |
| ग. आर्थिक सेवायें | 26,571 | 21 |
| घ. सहायता अनुदान तथा अंशदान | 2 | - |
| **कुल व्यय (राजस्व लेखा)** | **1,26,017** | **100** |

### *3.2.2 राजस्व व्यय के मुख्य घटक (2014-18)*

(₹ करोड़ में)

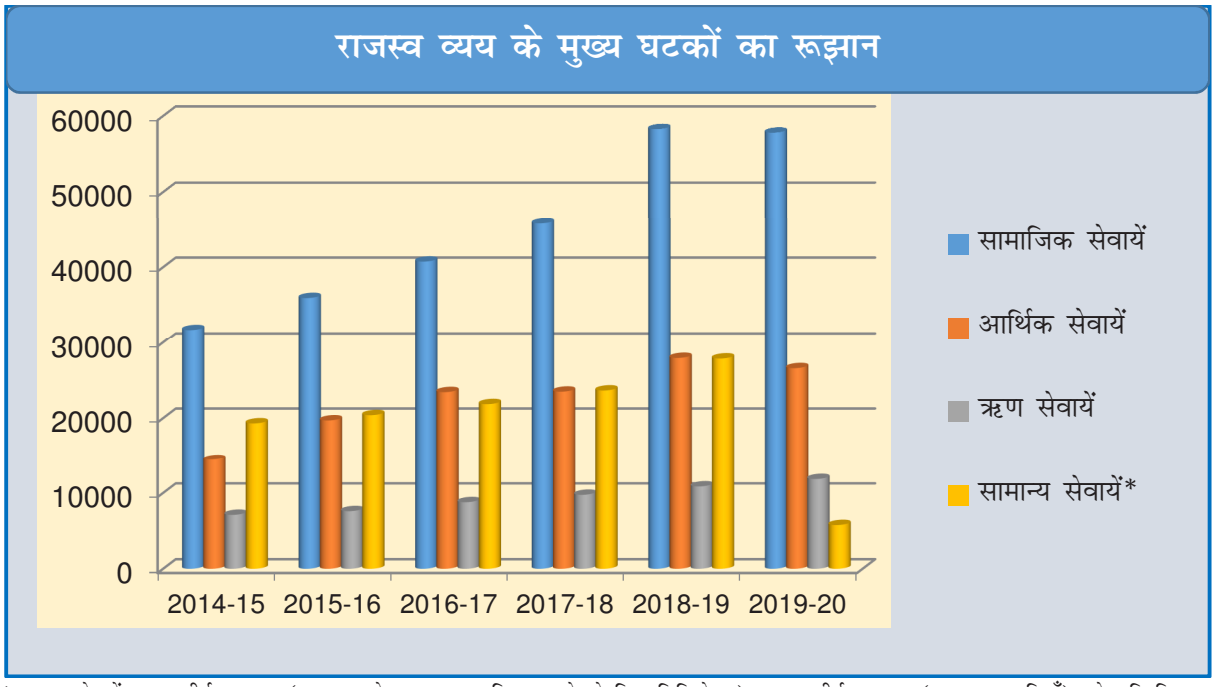


*सामान्य सेवायें मुख्य शीर्ष- 2048 (ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन), मुख्य शीर्ष- 2049 (ब्याज अदायगियाँ) को सम्मिलित नहीं करता है तथा मुख्य शीर्ष- 3604 (स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन) को सम्मिलित करता है।

## 3.3 पूँजीगत व्यय

वर्ष 2019-20 के लिए पूँजीगत संवितरण ₹12,970 करोड़ था जो जीएसडीपी का 2 प्रतिशत था। यह बजट अनुमान से ₹21,065 करोड़ कम था।

### *3.3.1 पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण*

वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पर ₹605 करोड़ (वृहद् सिंचाई पर ₹380 करोड़ तथा लघु सिंचाई पर ₹225 करोड़) और ऊर्जा परियोजनाओं पर ₹3,067 करोड़ व्यय किया गया। उपरोक्त के अलावा, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निगमों/ कम्पनियों/समितियों में ₹3,340 करोड़ निवेश किया गया।

| क्रम सं० | क्षेत्र | राशि (₹करोड़ में) | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| 1. | **सामान्य सेवायें**- पुलिस, भू-राजस्व आदि। | 2,388 | 18 |
| 2. | **सामाजिक सेवायें**- शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति/जनजाति का कल्याण आदि। | 2,803 | 22 |
| 3. | **आर्थिक सेवायें-** कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन आदि। | 7,113 | 55 |
| 4. | संवितरित ऋण तथा अग्रिम | 666 | 5 |
| | **कुल** | **12,970** | **100** |

### *3.3.2 विगत पाँच वर्षों के पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण*

(₹करोड़ में)

| क्रम सं० | प्रभाग | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सामान्य सेवायें | 3,617 | 2,090 | 2,765 | 3,311 | 2,388 |
| 2. | समाजिक सेवायें | 2,740 | 3,592 | 4,258 | 4,061 | 2,803 |
| 3. | आर्थिक सेवायें | 17,609 | 21,526 | 21,884 | 13,686 | 7,113 |
| 4. | ऋण तथा अग्रिम | 621 | 114 | 243 | 1,471 | 666 |
| **कुल** | | **24,587** | **27,322** | **29,150** | **22,529** | **12,970** |

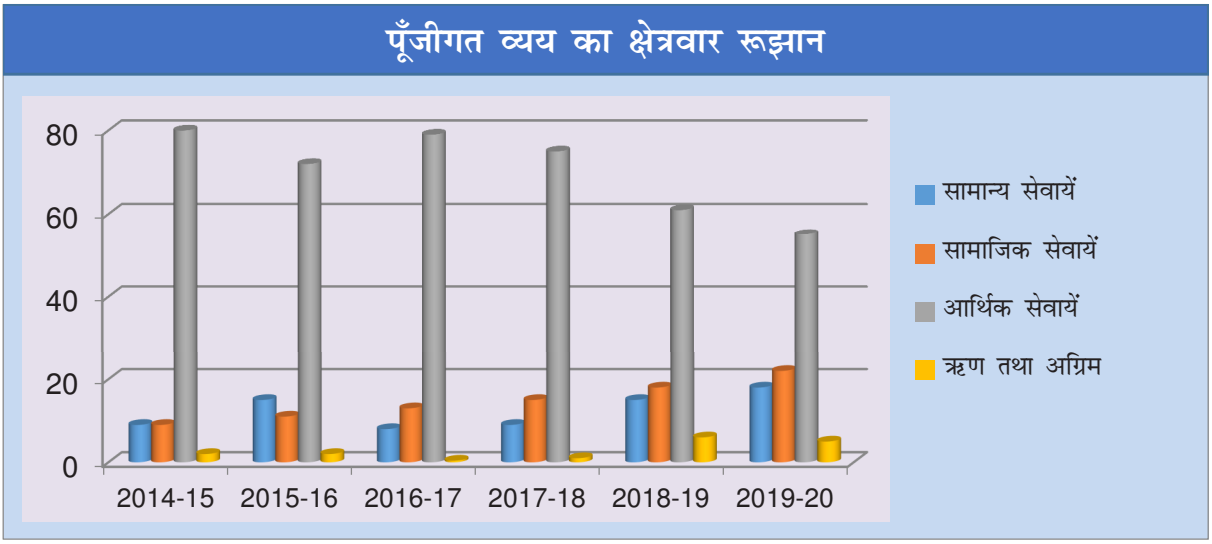

अध्याय IV

# स्थापना और प्रतिबद्ध एवं स्कीम व्यय

## 4.1 व्यय का संवितरण (2019-20)

(₹ करोड़ में)

| | वास्तविक व्यय |
|---|---|
| स्कीम व्यय (राजस्व तथा पूँजीगत दोनों) | 57,438 |
| स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय (राजस्व तथा पूँजीगत दोनों) | 81,549 |

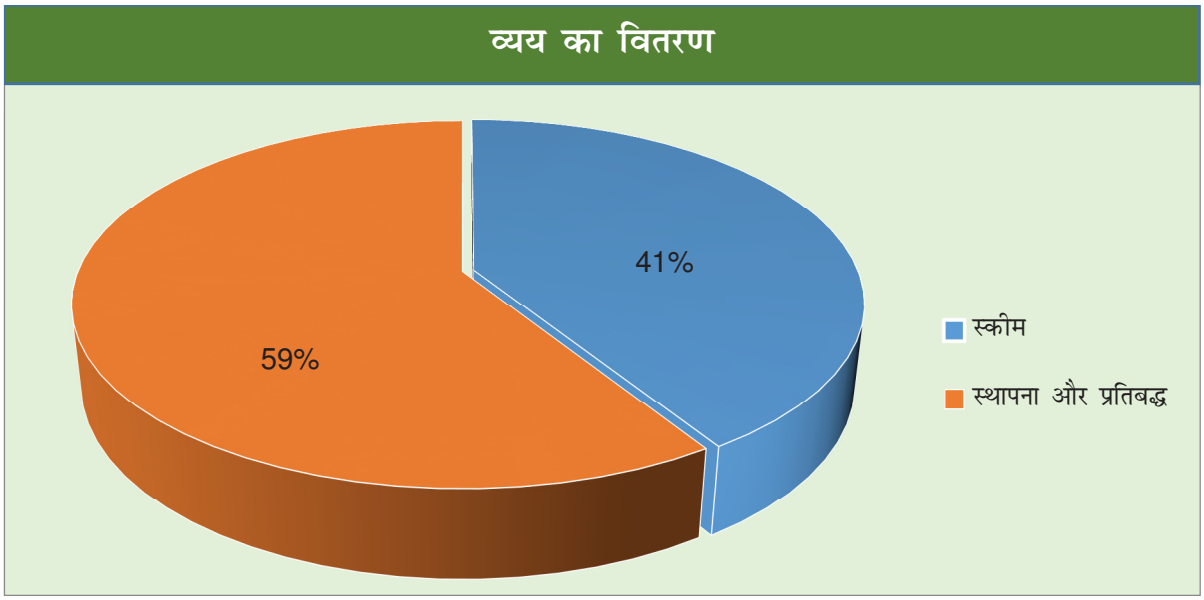


## 4.2 स्कीम व्यय

वर्ष 2019-20 के दौरान स्कीम व्यय (राजस्व तथा पूँजीगत दोनों) ₹57,438 करोड़ था जो कुल व्यय ₹1,38,987 करोड़ का 41 प्रतिशत था। इसमें राज्य स्कीम के अन्तर्गत ₹24,341 करोड़, केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत ₹32,469 करोड़, केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत ₹19 करोड़ और ऋण तथा अग्रिमों के अंतर्गत ₹609 करोड़ सम्मिलित हैं।

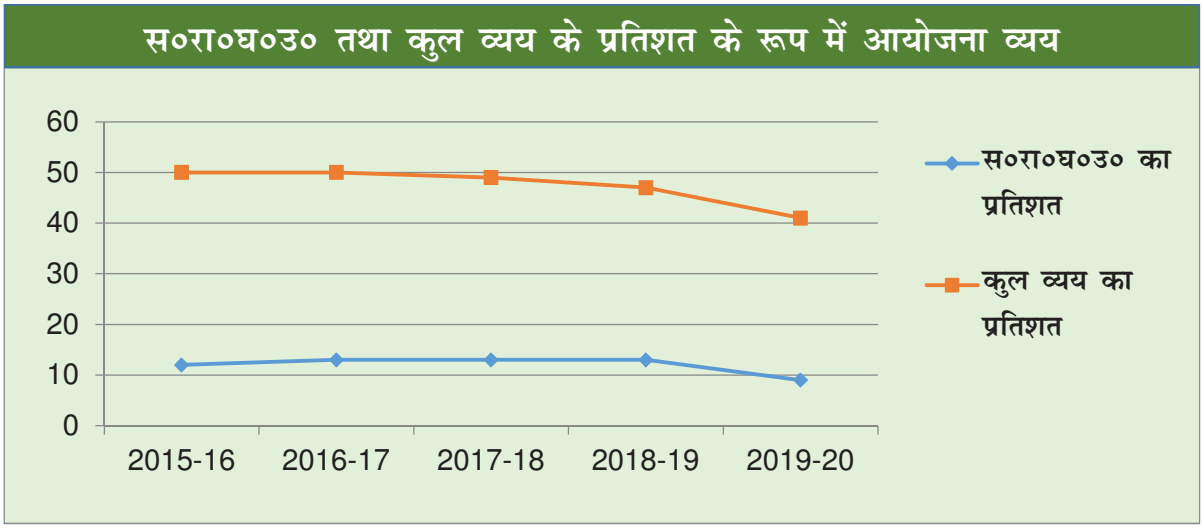


### *4.2.1 पूँजीगत लेखे के अंतर्गत स्कीम व्यय*

(₹करोड़ में)

| | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल पूँजीगत व्यय | 24,587 | 27,322 | 29,150 | 22,529 | 12,970 |
| पूँजीगत व्यय (आयोजना) | 24,082 | 27,264 | 29,076 | 22,407 | 12,863 |
| कुल पूँजीगत व्यय से पूँजीगत व्यय (आयोजना) का प्रतिशत | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |

## 4.3 स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय

वर्ष 2019-20 के दौरान स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय ₹81,549 करोड़ था, कुल व्यय ₹1,38,987 करोड़ का 59 प्रतिशत था। इस में राजस्व के अंतर्गत ₹81,441 करोड़, पूँजी के अंतर्गत ₹51 करोड़ तथा ऋण तथा अग्रिमों के अंतर्गत ₹57 करोड़ सम्मिलित हैं।

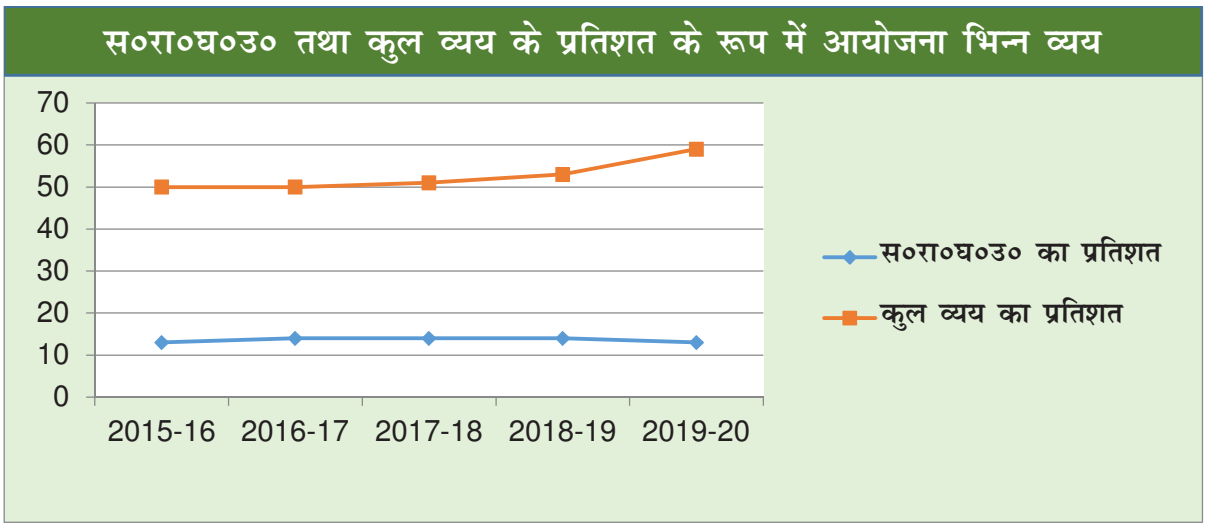

## 4.4 वचनबद्ध व्यय

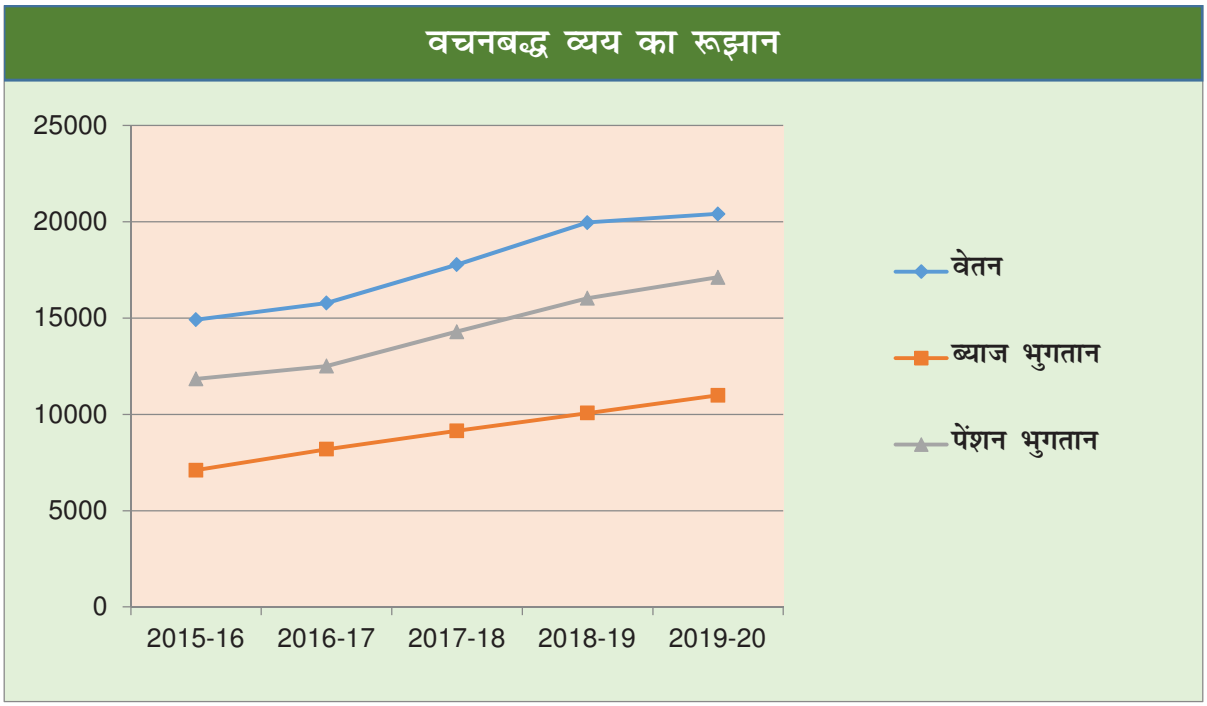


(₹ करोड़ में)

| घटक | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| वचनबद्ध व्यय | 33,872 | 36,483 | 41,220 | 46,077 | 48,529 |
| राजस्व व्यय | 83,616 | 94,765 | 1,02,624 | 1,24,897 | 1,26,017 |
| राजस्व प्राप्तियाँ | 96,123 | 1,05,585 | 1,17,447 | 1,31,794 | 1,24,233 |
| राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में वचनबद्ध व्यय | 35 | 35 | 35 | 35 | 39 |
| राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वचनबद्ध व्यय | 40 | 38 | 40 | 37 | 38 |

वचनबद्ध व्यय पर अत्यधिक राशि का व्यय, सरकार के लिए विकासात्मक व्यय के लचीलेपन को कम कर देती है।

अध्याय V

# विनियोग लेखे

## 5.1 वर्ष 2019-20 के विनियोग लेखे का सार

(₹ करोड़ में)

| क्र० सं० | व्यय की प्रकृति | मूल अनुदान | अनुपूरक अनुदान | पुनर्विनियोग | कुल | वास्तविक व्यय | बचत (-) अधिक व्यय (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | राजस्व | | | | | | |
| | दत्तमत | 1,43,375 | 22,087 | 9,417 | 1,65,462 | 1,15,076 | (-)50,386 |
| | प्रभारित | 11,856 | 335 | 0 | 12,191 | 12,026 | (-)165 |
| 2. | पूँजीगत | | | | | | |
| | दत्तमत | 36,593 | 4,955 | 7,068 | 41,547 | 14,764 | (-)28,442 |
| | प्रभारित | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. | लोक ऋण | | | | | | |
| | प्रभारित | 7,236 | 432 | 0 | 7,667 | 7,110 | (-)558 |
| 4. | ऋण तथा अग्रिम | | | | | | |
| | दत्तमत | 1,442 | 178 | 228 | 1,620 | 666 | (-)954 |
| कुल- | | **2,00,502** | **27,987** | **16,713** | **2,28,487** | **1,49,642** | **(-)80,505** |

## 5.2 विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति

(₹करोड़ में)

| वर्ष | बचत (-) / आधिक्य (+) | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | राजस्व | पूँजीगत | लोक ऋण | ऋण तथा अग्रिम | |
| 2015-16 | (-)27,491 | (-)7,014 | (-)38 | (-)470 | (-)35,013 |
| 2016-17 | (-)30,563 | (-)10,194 | (-)52 | (-)542 | (-)41,351 |
| 2017-18 | (-)35,777 | (-)10,051 | (-)143 | (-)425 | (-)46,396 |
| 2018-19 | (-)37,220 | (-)11,415 | (-)96 | (-)442 | (-)49,173 |
| 2019-20 | (-)50,551 | (-)28,442 | (-)558 | (-)954 | (-)80,505 |

## 5.3 विशिष्ट बचतें

किसी अनुदान के अंतर्गत लगातार बचत का होना इस बात का द्योतक है कि या तो कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नहीं हुआ या क्रियान्वयन धीमी गति से हुआ।

कुछ अनुदानों के अंतर्गत लगातार हुई बचतें तथा विशिष्ट बचतें निम्नवत है:-

(कुल आबंटन के सापेक्ष बचत का प्रतिशत)

| अनुदान | नाम | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कृषि विभाग | 54% | 43% | 44% | 43% | 41% |
| 3 | भवन निर्माण विभाग | 41% | 52% | 49% | 27% | 70% |
| 4 | मंत्रीमंडल सचिवालय | 28% | 21% | 40% | 38% | 51% |
| 5 | राज्यपाल सचिवालय | 25% | 19% | 30% | 14% | 97% |
| 6 | निर्वाचन विभाग | 5% | 8% | 6% | 12% | 35% |
| 7 | निगरानी विभाग | 20% | 19% | 11% | 13% | 31% |
| 8 | कला, संस्कृति एवं युवा विभाग | 47% | 35% | 30% | 32% | 39% |
| 9 | सहकारिता विभाग | 33% | 33% | 21% | 37% | 74% |
| 16 | पंचायती राज विभाग | 47% | 12% | 7% | 18% | 36% |
| 18 | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | 41% | 51% | 50% | 21% | 50% |
| 20 | स्वास्थ्य विभाग | 25% | 39% | 25% | 24% | 31% |
| 21 | शिक्षा विभाग | 26% | 17% | 25% | 27% | 32% |
| 23 | उद्योग विभाग | 28% | 22% | 27% | 15% | 53% |
| 29 | खान एवं भूतत्व विभाग | 35% | 35% | 36% | 33% | 42% |
| 30 | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 9% | 12% | 49% | 42% | 51% |
| 35 | योजना एवं विकास विभाग | 1% | 44% | 57% | 22% | 46% |
| 36 | लेक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | 32% | 31% | 4% | 12% | 49% |
| 37 | ग्रामीण कार्य विभाग | 16% | 5% | 31% | 66% | 74% |
| 39 | आपदा प्रबंधन विभाग | 86% | 67% | 34% | 66% | 51% |
| 40 | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | 33% | 46% | 37% | 32% | 42% |
| 41 | पथ निर्माण विभाग | 11% | 12% | 12% | 9% | 70% |
| 42 | ग्रामीण विकास विभाग | 52% | 44% | 50% | 33% | 48% |

| अनुदान | नाम | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग | 33% | 18% | 23% | 32% | 40% |
| 45 | गन्ना उद्योग विभाग | 29% | 33% | 58% | 33% | 35% |
| 46 | पर्यटन विभाग | 31% | 81% | 16% | 56% | 84% |
| 47 | परिवहन विभाग | 4% | 14% | 22% | 14% | 43% |
| 48 | शहरी विकास और आवास विभाग | 37% | 27% | 36% | 38% | 51% |
| 49 | जल संसाधन विभाग | 14% | 34% | 30% | 6% | 73% |
| 50 | लघु जल संसाधन विभाग | 47% | 42% | 39% | 19% | 69% |

वर्ष 2019-20 के दौरान कुल ₹21,088 करोड़ का अनुपूरक अनुदान (कुल व्यय का 14 प्रतिशत) जो कुछ प्रकरणों में अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वर्ष के अंत में मूल प्रावधान के विरूद्ध ही विशिष्ट बचतें हुई तथापि अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया। कुछ उदाहरण निम्नवत हैं:-

(₹ करोड़ में)

| अनुदान | विभाग का नाम | अनुभाग | मूल | अनुपूरक | वास्तविक व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कृषि विभाग | राजस्व | 2,939 | 533 | 2,152 |
| | | पूँजी | 20 | 127 | 0 |
| 2 | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | राजस्व | 953 | 172 | 789 |
| 3 | भवन निर्माण विभाग | राजस्व | 793 | 39 | 398 |
| | | पूँजी | 4,582 | 574 | 1,385 |
| 4 | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग | राजस्व | 365 | 6 | 152 |
| 5 | राज्यपाल सचिवालय | राजस्व | 30 | 1 | 1 |
| 9 | सहकारिता विभाग | राजस्व | 1,514 | 227 | 586 |
| | | पूँजी | 483 | 78 | 7 |
| 11 | पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | राजस्व | 1,585 | 3 | 1,413 |
| 12 | वित्त विभाग | राजस्व | 1,171 | 16 | 1,032 |
| | | पूँजी | 879 | 64 | 614 |
| 14 | ऋण अदायगियाँ | पूँजी | 7,236 | 432 | 7,110 |

| अनुदान | विभाग का नाम | अनुभाग | मूल | अनुपूरक | वास्तविक व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | पेंशन | राजस्व | 18,458 | 77 | 17,120 |
| 16 | पंचायती राज विभाग | राजस्व | 11,956 | 1,420 | 8,690 |
| 17 | वाणिज्य-कर विभाग | राजस्व | 162 | 1 | 121 |
| 18 | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | राजस्व | 1,347 | 8 | 702 |
| 19 | पर्यावरण एवं वन विभाग | पूँजी | 83 | 37 | 60 |
| 20 | स्वास्थ्य विभाग | राजस्व | 7,693 | 1,591 | 6,961 |
| | | पूँजी | 1,930 | 182 | 852 |
| 21 | शिक्षा विभाग | राजस्व | 34,027 | 3,034 | 25,958 |
| | | पूँजी | 771 | 392 | 126 |
| 22 | गृह विभाग | राजस्व | 10,466 | 560 | 8,993 |
| 23 | उद्योग विभाग | राजस्व | 709 | 59 | 435 |
| | | पूँजी | 112 | 50 | 0 |
| 25 | सूचना प्रावैधिकी विभाग | राजस्व | 154 | 28 | 107 |
| 26 | श्रम संसाधन विभाग | राजस्व | 786 | 67 | 643 |
| 27 | विधि विभाग | राजस्व | 990 | 7 | 768 |
| 30 | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | राजस्व | 189 | 34 | 89 |
| | | पूँजी | 270 | 18 | 161 |
| 32 | विधानमंडल | राजस्व | 209 | 11 | 175 |
| 33 | सामान्य प्रशासन विभाग | राजस्व | 728 | 32 | 533 |
| 35 | योजना एवं विकास विभाग | राजस्व | 847 | 24 | 274 |
| | | पूँजी | 1,642 | 43 | 1,099 |
| 36 | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | पूँजी | 3,124 | 46 | 1,905 |
| 37 | ग्रामीण कार्य विभाग | पूँजी | 9,707 | 150 | 1,832 |
| 38 | निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग | राजस्व | 237 | 54 | 219 |
| 39 | आपदा प्रबंधन विभाग | राजस्व | 4,315 | 3,037 | 3,621 |
| 40 | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | राजस्व | 846 | 85 | 562 |

| अनुदान | विभाग का नाम | अनुभाग | मूल | अनुपूरक | वास्तविक व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | पथ निर्माण विभाग | राजस्व | 1,469 | 600 | 854 |
| 42 | ग्रामीण विकास विभाग | राजस्व | 15,639 | 2,924 | 9,692 |
| 43 | विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग | राजस्व | 201 | 62 | 172 |
| | | पूँजी | 78 | 24 | 47 |
| 44 | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | राजस्व | 1,512 | 84 | 1,121 |
| 45 | गन्ना उद्योग विभाग | राजस्व | 218 | 1 | 143 |
| 46 | पर्यटन विभाग | राजस्व | 48 | 17 | 28 |
| 47 | परिवहन विभाग | राजस्व | 443 | 10 | 268 |
| 48 | नगर विकास एवं आवास विभाग | राजस्व | 5,149 | 1,086 | 2,985 |
| 49 | जल संसाधन विभाग | राजस्व | 1,123 | 38 | 858 |
| | | पूँजी | 2,530 | 1,979 | 954 |
| 50 | लघु जल संसाधन विभाग | राजस्व | 486 | 10 | 285 |
| | | पूँजी | 253 | 881 | 225 |
| 51 | समाज कल्याण विभाग | पूँजी | 31 | 53 | 10 |

# अध्याय VI

## परिसम्पत्तियाँ तथा देयताएँ

### 6.1 परिसम्पत्तियाँ

वित्त लेखे सरकार की परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन उनके अधिग्रहण/क्रय के वर्ष के सिवाय अन्य वर्षों में प्रदर्शित नहीं करता है। इसी प्रकार, लेखे जहाँ चालू वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होने वाले दायित्वों के प्रभाव को दर्शाते हैं, परन्तु एक सीमा तक केवल ब्याज दर एवं मौजूदा ऋण की अवधि को छोड़कर वे आगामी पीढ़ी पर दायित्वों के समग्र प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं।

2019-20 के अंत तक गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अंश पूँजी के रूप में कुल निवेश ₹31,667 करोड़ रहा। जबकि वर्ष के दौरान निवेश पर ₹1.62 करोड़ (अर्थात् 0.005 प्रतिशत) का लाभांश प्राप्त हुआ। वर्ष 2019-20 के दौरान निवेश में ₹3,340 करोड़ की वृद्धि हुई, जबकि लाभांश आय में ₹9.72 करोड़ की कमी हुई।

31 मार्च 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रोकड़ शेष ₹14,949 करोड़ था तथा जो मार्च 2020 के अंत में बढ़कर ₹18,177 करोड़ हो गया।

### 6.2 ऋण तथा देयताएँ

भारत के संविधान का अनुच्छेद-293 राज्य सरकारों को राज्य के समेकित निधि की प्रतिभूतियों के एवज में राज्य को उस सीमा तक उधार लेने हेतु शक्ति प्रदान करता है, जो कि समय-समय पर आवश्यकतानुसार राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा कुल देयताओं का विवरण निम्नवत है:-

(₹करोड़ में)

| वर्ष | लोक ऋण | स०रा०घ०उ० काप्रतिशतता | लोक लेखे (*) | स०रा०घ०उ० काप्रतिशतता | कुलदेयताएँ | स०रा०घ०उ० काप्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 88,829 | 24 | 27,749 | 8 | 1,16,578 | 32 |
| 2016-17 | 1,06,191 | 25 | 32,531 | 8 | 1,38,722 | 33 |
| 2017-18 | 1,14,707 | 23 | 42,070 | 9 | 1,56,777 | 32 |
| 2018-19 | 1,26,145 | 23 | 42,776 | 8 | 1,68,921 | 30 |
| 2019-20 | 1,48,180 | 24 | 45,202 | 7 | 1,93,382 | 32 |

(*) उचन्त तथा प्रेषण शेष सम्मिलित नहीं है।

टीप : आँकड़े वर्ष के अंत तक प्रगामी अंतशेष को दर्शाते हैं।

वर्ष 2018-19 की तुलना में लोक ऋण तथा अन्य देयताओं में ₹24,461 करोड़ (14 प्रतिशत) की निवल वृद्धि हुई है।

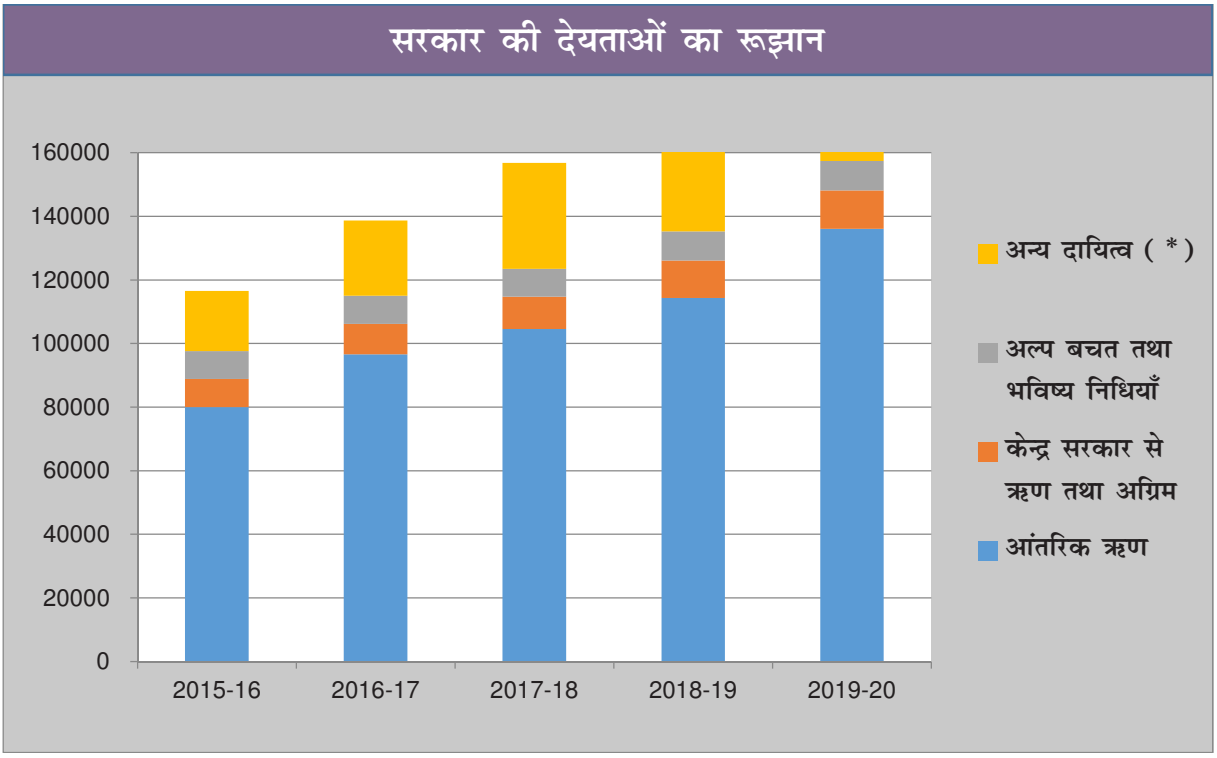


(*) बिना ब्याज वाली दायित्वें जैसे कि स्थानीय निधियों की जमा, अन्य उदिष्ट निधियाँ इत्यादि।

## 6.3 गारंटियाँ

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी संस्थाओं आदि द्वारा लिए गए कर्जों और पूँजी तथा उन पर देय ब्याज के भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों की स्थिति निम्नवत है:-

(₹करोड़ में)

| वर्ष के अंत तक | दी गई गारंटी की अधिकतम राशि ( मात्र मूलधन ) | वर्ष के अंत में बकाया राशि | |
|---|---|---|---|
| | | मूलधन | ब्याज |
| 2015-16 | 9,397 | 6,309 | 229 |
| 2016-17 | 13,053 | 4,460 | 178 |
| 2017-18 | 20,234 | 5,174 | 97 |
| 2018-19 | 20,834 | 5,398 | 104 |
| 2019-20 | 20,834 | 5,380 | 105 |

# अध्याय VII

## अन्य विषयें

### 7.1 आंतरिक ऋण के अंतर्गत शेष

राज्य सरकारों का ऋण ग्रहण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 द्वारा नियंत्रित होता है। प्रत्यक्ष रूप से ऋण लेने के अलावा, राज्य सरकारें राज्य बजट के बाहर रखे गए विभिन्न योजनागत योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शासकीय कम्पनियों एवं निगमों द्वारा बाजार तथा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए गारंटी भी प्रदान करती हैं। इन ऋणों को संबंधित प्रशासनिक विभागों की प्राप्ति के रूप में व्यवहृत किया जाता है तथा ये सरकार के पुस्तकों में प्रकट नहीं होते हैं। 31 मार्च 2020 को आंतरिक ऋण के अंतर्गत ₹1,36,082 करोड़ शेष है।

### 7.2 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम

वर्ष 2019-20 के अंत तक राज्य सरकार द्वारा दिए गए ₹21,481 करोड़ के कुल ऋण तथा अग्रिम में से ₹20,756 करोड़ सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर-सरकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों को ऋण तथा अग्रिम दिए गए। 31 मार्च 2020 के अंत तक मूलधन ₹8,642 करोड़ एवं ब्याज ₹10,263 करोड़ बकाए के रूप में वसूली योग्य थे। वर्ष 2019-20 के दौरान मात्र ₹30 करोड़ कर्ज तथा उधार के पुनर्भुगतान के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसमें से ₹17 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को दिए गए कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है।

### 7.3 स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

विगत पाँच वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों आदि को सहायता अनुदान वर्ष 2015-16 में ₹26,426 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹46,582 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान दिए गए कुल अनुदान का 24 प्रतिशत (₹11,242करोड़) जिला परिषदों, नगरपालिकाओं/नगरनिगमों/परिषदों तथा ग्राम पंचायत सहित पंचायत समितियों को अनुदान दिया गया।

विगत पाँच वर्षों के लिए सहायता अनुदान का विवरण निम्नवत है:-

(₹करोड़ में)

| वर्ष | जिला परिषद् | निगम/नगरपालिका/ परिषद | ग्राम पंचायत सहित पंचायत समिति | अन्य* | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 1,174 | 1,311 | 2,004 | 21,937 | 26,426 |
| 2016-17 | 725 | 1,700 | 1,934 | 31,850 | 36,209 |
| 2017-18 | 2,612 | 1,320 | 4,961 | 34,466 | 43,359 |
| 2018-19 | 1,749 | 1,759 | 5,769 | 42,487 | 51,764 |
| 2019-20 | 1,429 | 1,271 | 8,542 | 35,340 | 46,582 |

*मध्याह्न भोजन योजना, साईकिल योजना, पोशाक योजना एवं सर्व शिक्षा अभियान आदि पर भी किया गया व्यय शामिल है।

## 7.4 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

(₹करोड़ में)

| घटक | 1 अप्रैल 2019 को | 31 मार्च 2020 को | निवल वृद्धि (+) / कमी (-) |
|---|---|---|---|
| **रोकड़ शेष** | 157 | 588 | 431 |
| **रोकड़ शेष से निवेश** (भारत सरकार कोषागार विपत्र) | 14,792 | 17,589 | 2,797 |
| **अन्य रोकड़ शेष** | | | |
| (क) विभागीय शेष | 235 | 235 | 0 |
| (ख) स्थाई रोकड़ अग्रदाय | 759 | 761 | 2 |
| **उद्दिष्ट निधियों से निवेश** | 4,895 | 5,740 | 845 |
| (क) निपेक्ष निधि | 784 | 845 | 61 |
| (ख) गारंटी उन्मोचन निधि | -- | -- | -- |
| (ग) अन्य निधियाँ | -- | -- | -- |
| ***प्राप्त ब्याज** | 909 | 939 | 30 |

(*) यह मात्र रोकड़ शेष के निवेश पर संग्रहित ब्याज को दर्शाता है।

राज्य सरकार के पास वर्ष 2019-20 के अंत तक रोकड़ शेष का अंतशेष धनात्मक था। इन निवेशों पर ब्याज प्राप्ति में 3.30 प्रतिशत की कमी हुई।

## 7.5 लेखा प्रेषण ईकाईयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

राज्य सरकार के लेखे जिन्हें महालेखाकार के कार्यालय में संकलित किया जाता है, मुख्यतः कोषागारों, लोक निर्माण कार्यों एवं वन प्रमण्डलों द्वारा समर्पित आरंभिक लेखे पर आधारित होता है। लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की निर्धारित तिथि कोषागारों के लिए अगामी माह के 5वीं तारीख तथा लोक निर्माण कार्यों एवं वन प्रमण्डलों के लिए 10वीं तारीख है। ससमय लेखे के प्रस्तुत नहीं होने के कारण राज्य सरकार को भेजे गए मासिक लेखे में उस कोषागार को शामिल नहीं किया जाता है। परिणाम स्वरूप, लेखे के आँकड़ें माह के वास्तविक व्यय अथवा प्राप्ति को प्रदर्शित नहीं करते हैं, जिससे निर्णय गलत हो सकता है, यदि निर्णय अपूर्ण लेखे के आधार पर लिया गया हो।

वर्ष के दौरान मासिक लेखों में अपवाद को छोड़कर वर्ष के अन्त में कोई भी लेखा छोड़ा नहीं गया।

## 7.6 निवेश

राज्य सरकार सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त उपक्रम कम्पनियों तथा सहकारिता संस्थानों में निवेश करती है। लेखे के अनुसार, सरकार ने 2019-20 के अंत तक ₹31,667.39 करोड़ निवेशित किया है।

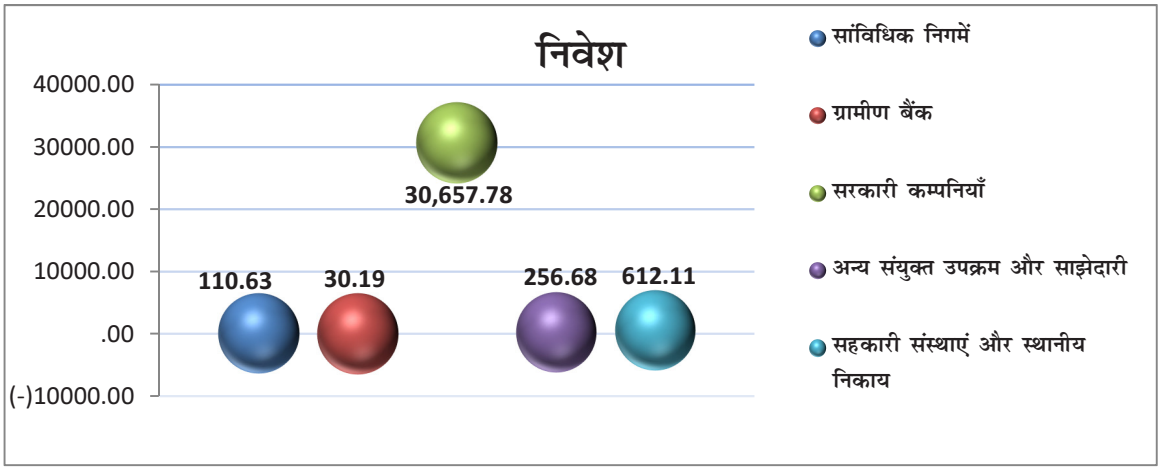


## 7.7 अस्थायी अग्रिम और अग्रदाय की स्थिति

बिहार कोषागार संहिता के नियम 177 के अनुसार, कोषागार से किसी प्रकार की राशि की निकासी नहीं की जानी चाहिए जब तक कि यह तत्काल भुगतान के लिए अपेक्षित न हो। यदि विशेष परिस्थिति में धन की अग्रिम निकासी की जाती है, तो इस प्रकार से निकासी की गई राशि के अव्ययित शेष को आगामी विपत्र में कम निकासी करके चालान के माध्यम से, और प्रत्येक मामले में इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले, जिसमें उस राशि की निकासी की गई है, कोषागार को वापस लौटा देना चाहिए। 31 मार्च 2020 को इन अनुदेशों के आलोक में ₹184.52 करोड़, जिसे कोषागार को वापस किया जाना चाहिए था, असमायोजित अग्रिम के रूप में लंबित थे। इसके अतिरिक्त, ₹25.46 करोड़, कार्य प्रमण्डलों में अग्रदाय के रूप में पड़े थे।

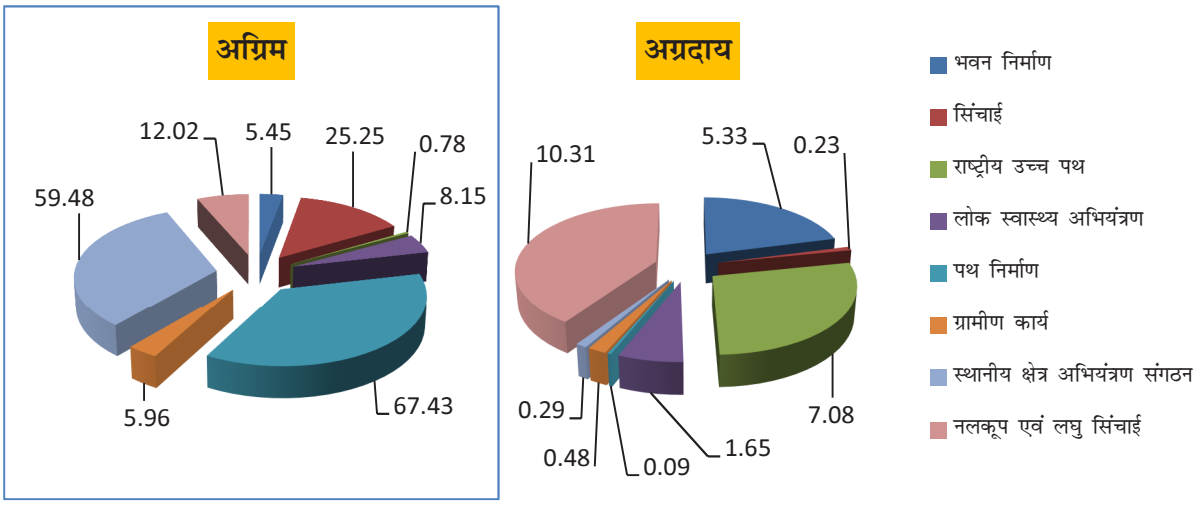

## 7.8 असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक ( ए0सी0 ) विपत्र

वित्तीय नियम[1] में यह निर्देशित है कि सरकारी कोषागार से तब तक कोई धन नहीं निकाला जाना चाहिए जब तक कि तत्काल संवितरण के लिए इसकी आवश्यकता न हो। बिहार कोषागार संहिता 2011 के अनुसार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अदृष्टिगत व्यय को पूरा करने के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से, सेवा मुख्य शीर्षों को नामे करते हुए राशि की निकासी के लिए प्राधिकृत होते हैं। इसके सापेक्ष उन्हें अंतिम व्यय के समर्थन में प्रमाणकों सहित विस्तृत आकस्मिक (डीसीसी) विपत्रों को, आकस्मिक विपत्र की निकासी के छः माह के अंदर महालेखाकार को प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है।

लंबी अवधि के लिए डीसी बिल जमा न करना धोखाधड़ी, गबन और/या कोषागार के बाहर निष्क्रिय धन पर परिहार्य ब्याज के जोखिम से भरा है। 31 मार्च 2020 तक असमायोजित एसी बिलों का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹करोड़ में)

| वर्ष | लंबित डी०सी० विपत्रों की संख्या | राशि |
|---|---|---|
| 2017-18 तक | 13,612 | 4,366.40 |
| 2018-19 | 1,341 | 557.98 |
| 2019-20 | 5,689 | 4,231.06 |
| **जोड़** | **20,642** | **9,155.44** |

बिहार कोषागार संहिता 2011 का नियम[1] 194

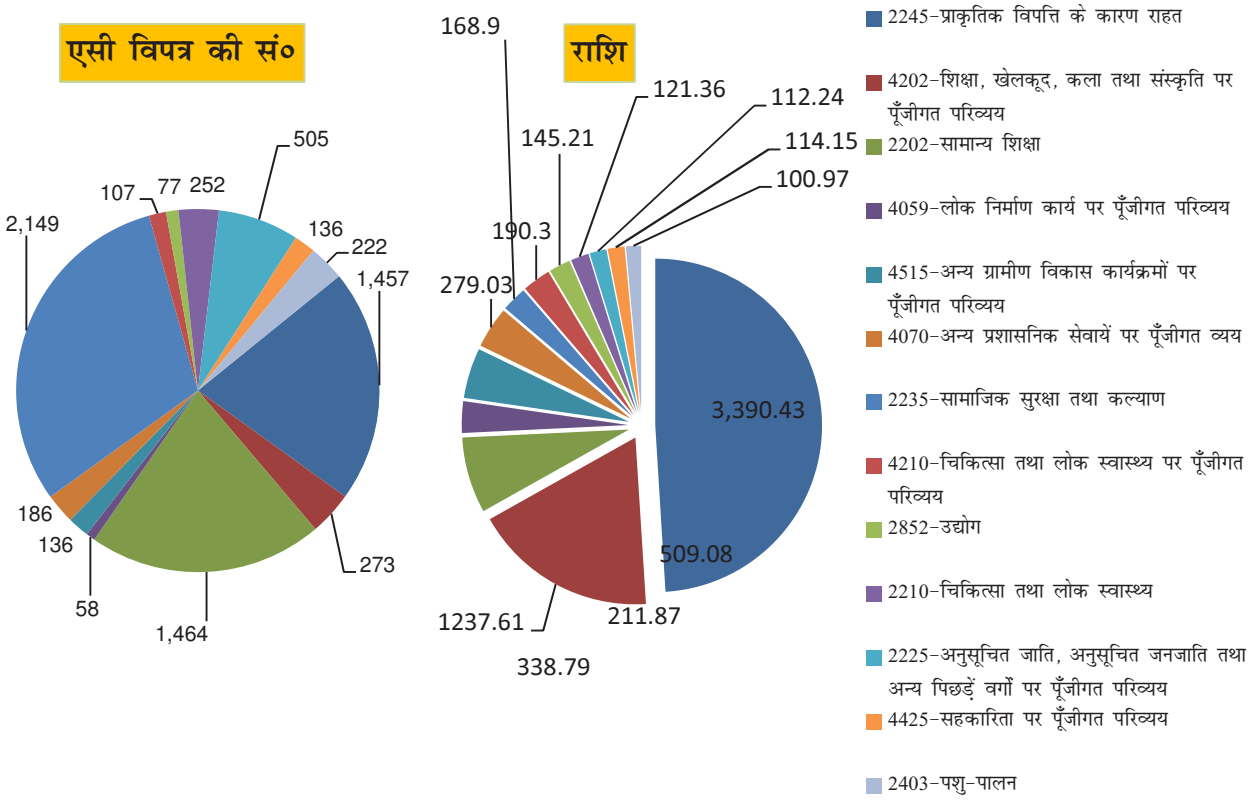


वर्ष 2019-20 के दौरान, ₹4,231.06 करोड़ के 5,689 एसी विपत्र निकाले गए, जिनमें से ₹644.13 करोड़ (2019-20 में निकाले गए कुल एसी विपत्र के राशि का 15.22 प्रतिशत) के ₹1,383 एसी विपत्र सिर्फ मार्च 2020 में निकाले गए। वर्ष 2019-20 के दौरान 5,689 एसी विपत्रों में से 289 एसी विपत्र के ₹805.96 करोड़ (2019-20 में एसी बिलों के एवज में आई कुल राशि का 19.05 प्रतिशत) की राशि विभिन्न पूंजीगत शीर्षों के अधीन आहरित की गई थी। मार्च माह में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से अत्यधिक व्यय इंगित करता है कि निकासी मुख्यत: बजट प्रावधानों को नि:शेष करने के लिए किया गया था और यह अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को प्रकट करता है।

## 7.9 सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र

वित्त विभाग के संकल्प सं०-एम०04-15/2009-9736/एफ०(2) दिनांक 19 अक्टूबर 2011 द्वारा यथा संशोधित बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 342 के अनुसार, स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी अनुदानग्राही से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे एवं इसे अनुदान की निकासी के 18 माह के अन्दर महालेखाकार को भेजेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में निर्गत किए गए सहायता अनुदान की विवरणी वित्त लेखे (खण्ड ।।) के **परिशिष्ट-।।।** में दर्शायी गई है।

31 मार्च 2020 को लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

| वर्ष ( * ) | उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रतीक्षित संख्या | राशि |
|---|---|---|
| 2017-18तक | 1,747 | 30,948.84 |
| 2018-19 | 516 | 27,293.34 |
| 2019-20 | 327 | 21,448.74 |
| **जोड़** | **2,590** | **79,690.92** |

(* उपर्युक्त वर्णित वर्ष ''लंबित वर्ष'' से संबंधित है अर्थात वास्तविक आहरण के 18 माह पश्चात)

31 मार्च 2020 को ₹79,690.92 करोड़ राशि के 2,590 यू०सी० लंबित थे। प्रमुख चूककर्ता विभाग जिन्होने यू०सी० समर्पित नहीं किया है:

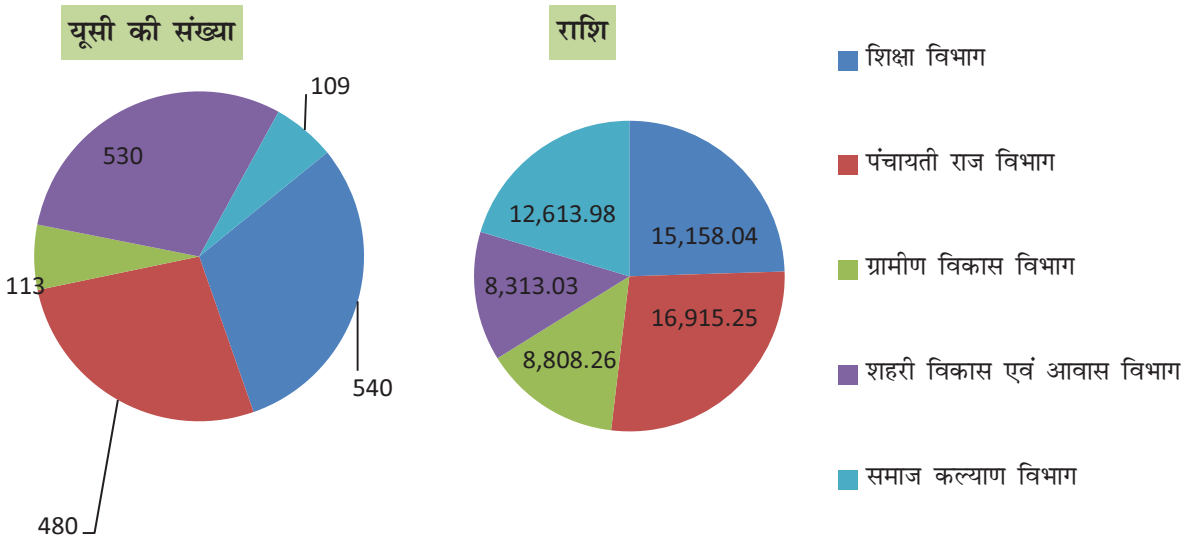


निर्दिष्ट अवधियों से परे लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र अभिप्रेत प्रयोजनों के लिए अनुदान की निर्धारित अवधि के अंदर उपयोगिता और अविश्वास को दर्शाता है ।

## 7.10 व्यक्तिगत जमा ( पी०डी० ) खाता

इस खाते का उपयोग केवल उन विशेष मामलों के लिए किया जायेगा जहाँ सार्वजनिक हित में व्यय शीघ्रता पूर्वक किया जाना अपेक्षित है, जो समान्य कोषागार प्रक्रिया में संभव नहीं है या बड़ी संख्या में सुदूर इलाकों में बिखरे हुए छोटे लाभार्थी है जिनको कोषागार के माध्यम से प्रत्यक्ष संवितरण व्यवहारिक नहीं है।

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 344 सह पठित वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या एम० 4-12/2013 (भाग-1)- 6487/एफ० दिनांक 21/07/2014 व्यवस्था करता है कि जमा करने वाले प्रशासक

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करेंगे। पाँच लगातार वित्तीय वर्षों (वह वित्तीय वर्ष सहित जिसमें राशि की निकासी की गई है) के बाद अव्ययित राशि व्यय नहीं की जानी चाहिए तथा शेष को संचित निधि में व्यय में कमी के रूप में संबंधित सेवा शीर्ष को स्थानान्तरित कर देना चाहिए। केंद्रीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सीएफएमएस) के कार्यान्वयन से पहले, केंद्रीकृत कोषागार प्रबंधन सूचना प्रणाली (सीटीएमआईएस) में 76 कोषागारों में से 55 कोषागारों में 175 व्यक्तिगत जमा खाते मौजूद थे।

हालांकि, व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सीएफएमएस) के कार्यान्वयन के बाद, 175 व्यक्तिगत जमा खातों में से केवल 163 व्यक्तिगत जमा खातों को सीएफएमएस में स्थानांतरित कर दिया गया था। सीएफएमएस में 12 (175-163) व्यक्तिगत जमा खातों का स्थानांतरण 31 मार्च, 2020 तक लंबित है। सीएफएमएस में 2 व्यक्तिगत जमा खाते नए बनाये गए हैं जो पहले के 175 व्यक्तिगत जमा खातों में शामिल नहीं थे। एक व्यक्तिगत जमा खाता पहले से ही 2017 में बंद कर दिया गया था और यह पहले के 175 व्यक्तिगत जमा खातों की सूची में नहीं था, लेकिन यह सीएफएमएस प्रणाली में उपलब्ध है।

सीएफएमएस में कुछ पीडी खातों के संबंध में मार्च 2019 के अंतिम शेष और अप्रैल 2019 के प्रारंभिक शेष में अंतर थे। 7 पीडी खातों को छोड़कर मिलान हो चुकी है।

वर्ष 2019-20 के दौरान किसी भी कोषागार पदाधिकारी/प्रशासक ने पीडी खातों में अव्ययित राशि को संचित निधि में वापस करने के संबंध में जानकारी नहीं दी थी। वित्त विभाग, बिहार सरकार ने आठ विभिन्न कोषागारों में संचालित किए जा रहे विशेष भू-अर्जन अधिकारी के आठ व्यक्तिगत जमा खातों को बंद करने की जानकारी दी।

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 353 (बी) के अनुसार सभी स्थानीय खातों के प्रशासकों द्वारा पूर्व वित्तीय वर्ष के जमा की स्वीकृति का प्रमाण-पत्र प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक कोषागार अधिकारी को भेज देना होगा, जिसके जाँचोपरान्त प्रधान महालेखाकार को भेज दिया जायेगा। हालांकि, 2019-20 के दौरान केवल 17 काषागारों ने 42 व्यक्तिगत जमा खातों प्रशासकों के बारे में अपना अंतिम शेष प्रमाण पत्र (31 मार्च 2020 तक) भेजा है। 92 व्यक्तिगत जमा खाते ₹2.43 करोड़ के शेष के साथ निष्क्रिय हैं और जिसमें पिछले पाँच वर्षों में कोई लेनदेन नहीं हुआ है। लगातार पाँच वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित राशि 1 व्यक्तिगत जमा लेखा प्रशासक से प्राप्त हुआ है।

वित्त विभाग ने अपनी अधिसूचना संख्या-2916, दिनांक-03.06.2020, द्वारा बिहार ट्रेजरी कोड 2011 के नियम 349 संशोधित किया और पहले के तीन वित्तीय वर्षों से खर्च नहीं किए गए धन की अवधि को बाद के पांच वित्तीय वर्ष तक बढ़ा दिया गया और 01.04.2019 से पहले खोले गए सभी व्यक्तिगत जमा खातों/व्यक्तिगत लेजर खातों को 01.04.2019 से सीएफएमएस प्रणाली के तहत एक डिफॉल्ट के रूप में खोला हुआ मान लिया गया। 01.04.2019 से पहले खोले गए पीएल/पीडी खातों के बारे में कोई संदर्भ नहीं दिया गया है जिसमें उक्त तिथि से पहले ही राशि समाप्त हो चुकी है।

31 मार्च, 2020 तक व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| विवरणी | व्यक्तिगत जमा खातों की संख्या | राशि |
|---|---|---|
| समाप्ति के समय बकाया (सीटीएमआईएस के अनुसार) | 175 | 4377.12 |
| आदि शेष (सीएफएमएस के अनुसार) | 163 (175 में से)<br>+ 3 (नया उपलब्ध) | 4361.12<br>0.00 |
| सीएफएमएस में माईग्रेट नहीं किये गये | 12 | 1.54 |
| वर्ष के दौरान खोला गया | 0 | 0.00 |
| वर्ष के दौरान बंद | 8 | 555.90 |
| वर्ष के दौरान प्राप्ति | 23 | 552.13 |
| वर्ष के दौरान भुगतान | 41 | 1,600.32 |
| समाप्ति के समय बकाया (सीएफएमएस के अनुसार) | 155(175 में से)<br>+ 3 (नया उपलब्ध) | 3,312.94<br>0.00 |

## 7.11 लेखे का मिलान

लेखे की शुद्धता एवं विश्वसनीयता अन्य बातों के अलावा ससमय विभागीय आंकड़ों तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित लेखे में दर्शाए गए आंकड़ों के मिलान पर निर्भर करता है। यह कार्य विभागों के संबंधित नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा संचालित किया जाना है। वर्ष 2019-20 के दौरान कुल व्यय ₹1,38,321 करोड़ (राजस्व एवं पूँजी) के विरूद्ध मात्र ₹15,915 करोड़ अर्थात् कुल व्यय के 12 प्रतिशत

तथा कुल प्राप्तियाँ ₹1,00,551 करोड़ के विरूद्ध ₹1,24,233 करोड़ अर्थात् कुल प्राप्ति के 81 प्रतिशत का ही मिलान किया गया। मुख्य चूककर्ता विभाग हैं:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (0029, 2029) | निबंध, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (0039, 2039) | वाणिज्यकर विभाग (0040, 2040) | परिवहन विभाग (0040, 2040) |
| गृह (आरक्षी) विभाग (0041, 2041) | भवन निर्माण विभाग (0055, 2055) | वित्त विभाग (2071) | शिक्षा विभाग (0202, 2202) |
| स्वास्थ्य विभाग (0210, 2210) | ग्रामीण कार्य विभाग (0215, 2215) | नगर विकास एवं आवास विभाग (0216, 2216) | समाज कल्याण विभाग (0235, 2235) |
| कृषि विभाग (0401, 2401) | पशु एव मत्स्य संसाधन विभाग (0405, 2405) | पर्यावरण एवं वन विभाग (0406, 2406) | पंचायती राज विभाग (0515, 2515) |
| जल संसाधन विभाग (0700, 2700) | लघु जल संसाधन विभाग (0702, 2702) | पथ निर्माण विभाग (1054, 3054) | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (1456, 3456) |

## 7.12 उचन्त लेखे शेष

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, उचन्त लेखे खातें में शेष 2015-16 के ₹4,064 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹10,498 करोड़ हो गया।

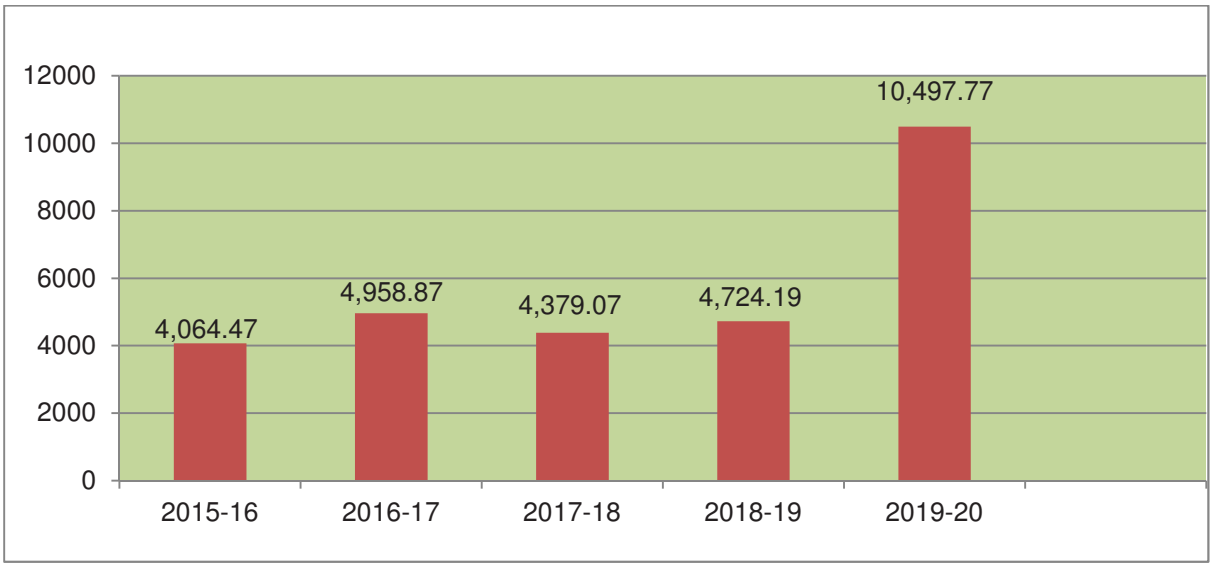

पिछले पाँच वर्षों के उचंत खातें के अंतर्गत शेष का विवरण निम्नलिखित हैं:-

(₹ करोड़ में)

| उचन्त लेखे | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| वेतन तथा लेखा कार्यालय उचन्त | 270.29 | 296.05 | 335.27 | 314.56 | 289.24 |
| उचन्त लेखा (सिविल) | 3,690.31 | 4,376.04 | 3,749.28 | 3,956.07 | 9,857.46 |
| नकद परिनिर्धारण उचन्त लेखा | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 |
| रिजर्व बैंक उचन्त (मुख्यालय) | 266.28 | 265.26 | 261.88 | 264.58 | 274.00 |
| रिजर्व बैंक उचन्त (केन्द्रीय लेखा कार्यालय) | 347.52 | 370.41 | 382.10 | 385.43 | 299.58 |
| विभागीय समायोजन लेखा | 104.45 | 104.45 | 104.41 | 104.41 | 104.41 |
| स्रोत पर कर कटौती (टी०डी०एस०) उचन्त | 640.99 | 480.28 | 481.00 | 328.36 | 327.70 |
| सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचन्त लेखा | 66.11 | 66.11 | 66.11 | 66.11 | 66.11 |

## 7.13 अपूर्ण पूँजीगत कार्यो पर वचनबद्धता

वित्त लेखे खण्ड II के परिशिष्ट IX के अनुसार राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अर्पूण परियोजनाओं पर मूल अनुमानित खर्च ₹13,004.16 करोड़ के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2019-20 तक कुल ₹4,004 करोड़ व्यय किया गया।

'अपूर्ण पूँजीगत कार्यों' पर वचनबद्धता का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

| क्रम संख्या | कार्य विभाग का नाम | कार्य की अनुमानित लागत | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रगामी व्यय | लंबित भुगतान | पुनरीक्षण के पश्चात अनुमानित लागत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जल संसाधन विभाग | 4,830.90 | 743.12 | 1,319.00 | 355.50 | - |
| 2 | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | 185.02 | 13.08 | 69.90 | 47.02 | - |
| 3 | राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग | 7.92 | 0.87 | - | - | - |
| 4 | भवन निर्माण विभाग | 4,338.89 | 800.72 | 1,300.27 | 1,487.01 | - |
| 5 | स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन | 15.92 | 3.10 | 6.84 | 7.22 | - |
| 6 | पथ निर्माण विभाग | 3,584.36 | 780.93 | 1,306.00 | 1,207.43 | - |
| 7 | ग्रामीण कार्य विभाग | 41.18 | 1.71 | 2.16 | 3.22 | - |
| **जोड़** | | **13,004.16** | **2,343.53** | **4,004.17** | **3,107.40** | **-** |

## 7.14 भारत सरकार लेखांकन मानक ( आई०जी०ए०एस० ) का अनुपालन

सरकारी लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग के मानकों में सुधार करने के उद्देश्य से जो निर्णय लेने और सार्वजनिक जवाबदेही की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (जीएएसएबी) ने लेखांकन की नकद प्रणाली के लिए भारत सरकार लेखा मानक (आईजीएएस) तैयार किया है। आईजीएएस, संघ और राज्य सरकारों के वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। तदनुसार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा उनकी अधिसूचना के बाद प्रभावी तिथि से तीन आईजीएएस अनिवार्य हो गए है।

**1. सरकारों द्वारा दी गई गारंटी- आईजीएएस-1:** वित्त लेखे के विवरण 9 और 20 को आईजीएएस -1 के निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार किया गया है। हालांकि, प्रकटीकरण अधूरा है क्योंकि राज्य सरकार ने आवश्यक जानकारी नहीं दी है। राज्य सरकार के सभी गारंटी प्रदाता विभागों ने पिछले वर्ष में उनके द्वारा रिपोर्ट की गई गारंटी की स्थिति प्रदान नहीं की है।

**2. सहायता अनुदान का लेखा एवं वर्गीकरण- आईजीएएस-2:** राज्य सरकार द्वारा प्राप्त या दी गई सहायता अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण से संबंधित आवश्यकताएं पूरी कर ली गई हैं। आईजीएएस-2 के आवश्यकताओं के अनुसार विवरण 10 तैयार किया गया है।

**3. सरकार द्वारा दी गयी ऋण तथा अग्रिम- आईजीएएस-3:** वित्त लेखे के विवरण 7 और 18 को आईजीएएस-3 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार तैयार किया गया है। हालाँकि, अन्य ऋणदाता संस्था से बकाया राशि में भुगतान, अपरिवर्तनीय ऋण तथा अग्रिम का राईट-ऑफ एवं ''एक ऋण को ऋण के रूप में अनंत काल तक स्वीकृत का मामला'' नहीं बनाया जा सका क्योंकि ये जानकारी राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं की गई थी।

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2020
www.cag.gov.in

www.ag.bih.nic.in